SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Sir, I want to make a submission.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH DESAl) Please sit down. I am not going to allow any other things. Now, Bill to be introduced.

THE SATI PREVENTION BILL, 1987..

DR. BAPU KALDATE (Maharashtra): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the prevention of practice and glorification of sati and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

DR. BAPU KALDATE: I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT)Bill, 1987 (Insertion of new article 17A etc.) ...

SHR MU RU DHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

KANT BHANDARE: I introduce the Bill.

THE PREVENTION OF MISUSE OF RELIGION AND RELIGIOUS INSTITUTIONS BILL, 1987

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the prevention of misuse of religion and religious institutions, and for that purpose to provide for effective control of properties and places of worship of all religions, certain disqualifications in the Representation of the People Act, 1951 and for matters connected therewith and incidential thereto.

The questipn was put and the motion

.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I introduce the Bill.

THE NATIONAL HONOUR AND INTEGRTIY (PROTECTION) BILL, 1987

श्री शिव कुमार मिश्र (उत्तर प्रदेश): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राष्ट्रीय गौरव और अखंडता के संरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि आज मुझे इस महत्वपूर्ण "राष्ट्रीय. गौरव और अखण्डता (संरक्षण) विधेयक" को यहां प्रस्तुत करने का अवसर मिला है । इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । सबसे पहले कि मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को यहां लाने की जरूरत क्यों पड़ी? हाल ही में अनेक लोगों द्वारा अनेक अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीयगान का, संविधान का अपमान किया गया । ये हमारी अमूल्य निधि है और इसकी हर कीमत पर रक्षा करना हमारा दायित्व है । इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को रोका जाय । इसके लिए एक विधेयक स्वीकार किया जाये और उन लोगों को जोकि इस प्रकार के राष्ट्र-विरोधी कार्य कर रहे हैं, उन्हें दण्डित किया जाय । पेश्तर इसके कि मैं और कुछ कहूं , मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष एक महान देश है। इसमें भिन्न-भिन्न जातियों, भिन्न-2 संप्रदाय, भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलने वाले रहते हैं। सदियों से रह रहे हैं और आपस में सांप्रदायिक सद्भाव उनमें बना रहा है। एक दूसरे के साथ भाईचारे का बर्ताव करते रहे है। हमारे संतों ने हमारे महापुरूषों ने, हमारे बुजर्गों ने बराबर यही हमको संदेश दिया है, चाहे वे कबीर हों, गुरुनानक हों, तुलसी हों सभी ने इसी संस्कृति और इसी गंगा-जननी तहजीब को पेश किया है जिसका कि विश्व में कोई सानी नहीं है। परन्तु अंग्रेजों ने हमारे देश में फूट डालो और राज करो कि नीति अपनाई । अंग्रेजी दासता से मुक्ति पाने के लिए

हमारे स्वततंत्रता सेनानियों ने सन् 1857 में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारम्भ किया था । यद्यपि अंग्रेजों ने हमारे इस प्रयास को विफल कर दिया था, लेकिन हमारे पुराने महापुरुषों ने, देशभक्तों ने--लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाब विपनचन्द्र पाल और लाला लाजपतराय जैसे स्वतंत्र योद्धाओं ने इस देश में फिर अंग्रेजी दासता से छुटकारा पाने के लिए जनता को संगठित किया और बड़ी-बड़ी कुर्बानी दीं । महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया । उस जमाने में सांप्रदायिक सद्भाव बहुत था । यह आज की बात नहीं है । यह हमेशा से रही है । हमने देखा है । वह दिन भी था जब जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी को आमंत्रित किया गया था और दिल्ली में अखिल भारतीय गोरक्षा सम्मेलन की स्वागत समिति की अध्यक्षता के लिए हकीम अजमल खां को आमंत्रित किया गया था । गाय का बिल्ला उनके सीने पर लगा हुआ था । हमने हमेशा इसी तरीके से हमारे यहां हिन्दू मुस्लिम, सिख सभी ने भाईचारे के रूप में शामिल होकर आजादी की लड़ाई लड़ी । हम लोगों ने गाने गाए थे, "सिख, हिन्दू, मुसलमान एक रहें, भाषा-भाषा में रसमोरिवाज रहे, गुरु ग्रंथ, पुराण, कुरान रहे, मेरी संध्या पूजा नमाज रहे !" लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा अंग्रेजों ने फूट डालो, राज करोवाली नीति को अपनाया ।जब मुगल हमारे यहां आए तो वे फारसी लेकर आए और उसे सबने कबूल किया । अंग्रेज आए, अंग्रेजी लेकर और अंग्रेजी को सबने कबूल किया । न फारसी का कोई विरोध हुआ और अंग्रेजी का लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आज हिन्दी का इतना विरोध क्यों है ? इस देश में 80 करोड़ जनता की एक तो संपर्क भाषा रहेगी ? हमारी सरकार और हमारे नेताओं ने बार-बार इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि अंग्रेजी जब तक लोग चाहेंगे, सूबों में रहेगी और हिन्दी किसी के ऊपर थोपा नहीं जाएगा । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनंतकाल तक हम लोग अंग्रेजी को बनाए रखेंगे ? क्या हमारी कोई संपर्क भाषा होगी ? मैं चाहूंगा कि हमारी जो 14 भाषाएं हैं, उनमें से भी अगर कोई संपर्क भाषा का स्थान ले सकती है तो उस बात को देखा जाए । लेकिन आज हम देखते हैं कि कहीं राष्ट्रीय झंडे जलाए जाते हैं, कहीं हमारे राष्ट्र-गान का बहिष्कार किया जाता है ।

कहीं हमारे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार किया जाता है और इस संबंध में मैं तमिलनाडु की सरकार की सराहना करूंगा, प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाया और जिन लोगों ने ऐसा किया उन को दंडित किया । मैं अधिक न कह कर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस को स्वीकार करना चाहिए और सभी दलों के लोगों से और सरकार से मैं इस बात के लिये प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस बिल को जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है और आज की स्थिति में बहुत आवश्यक है, स्वीकार किया जाय । इस में जो प्रावधान हैं उन में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे राष्ट्र-विरोधी कार्यों में में जो लोग लिप्त हैं उन को कठोर दंड दिया जाय । इस की व्यवस्था होनी चाहिए । तमिलनाडु की सरकार ने जो उदाहरण पेश किया है ऐसा सभी राज्यों में होना चाहिए और ऐसा हमारी सरकार को भी करना चाहिए । हम कब तक इस के लिये आंखे मुंद कर देखते रहेंगे और अगर इस प्रकार की चश्मापोशी की गयी और कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति बहुत नाजुक हो जायगी और विघटनकारी शक्तियों और अलगाववादी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव को शते करता हूं ।

The Question was proposed.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : मिश्र जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया हैं मैं उस का समर्थन करता हूं ।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आप हिन्दी में बोल रहे हैं इस का मैं स्वागत करता हूं ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : जिस ढंग से मिश्र जी ने इस विधेयक पर जो अपने विचार इस सदन में प्रकट किये वह सभी लोगों को मान्य हैं और मैं नहीं समझता कि हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति इस विचार से अलग होगा । सारे भारत के लोग किसी हिस्से में भी क्यों न हों, दिल्ली में हो या उत्तर प्रदेश में हों, बिहार में हो या आंध्र प्रदेश में हों, तमिलनाडु में हो या केरल में हो या काश्मीर या नागालैंड में हो, वहां के रहने वाले सभी भारतीय हैं, हिन्दुस्तानी हैं, और वे सब हिन्दुस्तान की एकता और हिन्दुस्तान की आजादी कायम रखना चाहते हैं । आप जानते हैं कि कई सालों तक हिन्दुस्तान दूसरों के अधीन रहा । यहां अंग्रेजों का राज रहा । बाहर से कई जातियों का आक्रमण हुआ इस देश पर और यहां के लोगों ने काफी मुसीबतें सहीं । लेकिन एक समय आया जब हिन्दुस्तान के लोगों में जागृति पैदा हुई और उन्होंने यह फैसला किया कि हिन्दुस्तान को स्वतंत्र बनाना है, आजाद बनाना है । इस में कितने ही लोगों ने, भले ही वे किसी पार्टी के हों या न हों, बहुत से लोगों ने इस आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और महात्मा गांधी की रहनुमाई में, उन के नेतृत्व में कितने ही लोग जेल गये, कितने ही लोगों ने गिरफ्तारियां दीं, कुर्बानियां दीं और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि आगे जा कर उन को मंत्री बनना है या पार्लियामेंट का सदस्य बनना है या किसी असेम्बली का सदस्य बनना है । उन के सामने एक ही ध्येय था---भारत की आजादी । इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों की गयी ? यह इस लिये कि हिन्दुस्तान में जो गरीब है, जो परेशान है, उस का उद्धार हो । हिन्दुस्तान के लोग अपना सिर ऊंचा उठा कर आगे जायें और जो मुसीबतें हैं इस देश के अंदर, वे दूर हों । क्योंकि जो विदेशी आक्रमण हुए और अंग्रेजों के राज के दौरान जो यहां के लोगों की आर्थिक लूट हुई, यहां के गरीब और अनपढ़ लोगों को जो सताया गया उस सब का नतीजा हुआ कि आज भी हम इस में फंसे हुए हैं । अभी प्रस्ताव के मूवर ने बतलाया है कि अंग्रेजों की यह नीति रही की फूट डालो और हुकूमत करो । वही बात अब भी जारी है कि किसी न किसी रूप में । इसे खत्म करना है । आज सदन में कहना पड़ता है कि आज हिन्दुस्तान को आजाद हुए 40 साल हो गये लेकिन सदन में जब कार्यवाही चलती है तो वह भारत की किसी भाषा में नहीं चलती । शर्म के मारे हमारा सिर झुक जाता है । जो कार्यवाही है वह तो हिन्दुस्तान की किसी भाषा में नहीं सुनाई जाती है, अंग्रेजी में सुनाई जाती है । इसको हमको खत्म करना है । इसकी तरफ संजीदगी से हमें सोचना है । सरकार को भी सोचना है और लोगों को भी सोचना है । यह सही है कि कुछ प्रान्तों में इससे दिक्कतें आएंगी, वहां पर हिन्दी में काम करने में कठिनाई होगी । लेकिन वे तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, काश्मीरी में अपना कामकर सकते हैं । किसी भी भारतीय भाषा में यह किया जा सकता है लेकिन कार्यवाही अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिये इस तरह से धीरे-धीरे हिन्दुस्तान की भाषाएं उस स्तर पर पहुंच जाएंगी कि हम अपनी भाषाओं में काम कर सकते हैं ।

महोदय कुछ लोगों का तर्क यह है कि जो टैक्नोलोजी के शब्द हैं या साइंस के शब्द हैं, वे हमारी भाषाओं में नहीं हैं, तो भाषा के शब्दों को हम उसी रूप में अपनाएं, लेकिन अपनी भाषा में उनका प्रयोग करें, चीन, जापान, रूस आदि देशों ने क्या अपनी भाषाओं के माध्यम से तरक्की नहीं की है ?उन देशों ने काफी तरक्की की है । अमरीका के बराबर वे पहुंच गये हैं । जापान हर तरह से आगे बढ़ा हुआ है इंडस्ट्रीज वगैरह में । इसी तरह से चीन भी, उसका कारोबार अपनी भाषा में होता है । तो यह हमको सोचना है कि हमारा राष्ट्रीय गौरव और हमारी प्रतिष्ठा कैसी बनी रहेगी । यह सरकार को ही नहीं सोचना है । लोगों को भी सोचना है । इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही नहीं है, लोगों पर भी इसकी जिम्मेदारी है । हिन्दुस्तान के सभी लोगों पर इसकी जिम्मेदारी है ।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां यह जिम्मेदारी सरकार

की है और लोगों की है, वहां यह जिम्मेदारी संस्थाओं की भी है । हाल के ही कुछ वर्षों की एक घटना मुझे याद है । मैंने पढ़ा और मुझे यह जानकारी प्राप्त करके बड़ा रंज हुआ कि कुछ साल पहले हमारे देश में कालिदास समारोह उज्जैन में हुआ । उस समारोह में कालिदास जयन्ती में विदेशों के भी कई प्रतिनिधिमंडल आए और रूस का भी एक प्रतिनिधिमंडल आया । उसका कालिदास समारोह में जब रूस का प्रतिनिधिमंडल उज्जैन पहुंचा तो उनको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कालिदास समारोह के जो कार्यकर्ता थे, सम्मेलन को चलाने वाले थे, उन्होंने कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में शुरू की । रूस के प्रतिनिधिमंडल ने फौरन खड़े होकर कहा कि इतनी दूर से, रूस से भारत और यहां भी उज्जैन में अंग्रेजी में कालिदास को सुनने के लिए नहीं आए हैं । हम कालिदास की जुबान में सुनने के लिए आए है, हम कालिदास की भाषा में सुनना चाहते हैं । यह हमारे लिए कितनी शर्म की बात है ? रूस वाले बोले कि आप अपनी भाषा में काम करो, संस्कृत में बोलो या भारत की किसी भाषा में । तो मेरे कहने का मतलब यह था कि राष्ट्रीय गौरव तब बढ़ेगा जब हम अपनी भाषाओं में, अपनी संस्कृति को, अपनी चीज को आगे बढ़ायें और उसके गौरव को बढ़ायें । नहीं तो क्या गौरव हमको मिल सकता है ?

अभी मिश्र जी ने चीन का उदाहरण दिया यह गलत बात है । हमारी विचारधारा कुछ भी हो लेकिन एक दूसरे को समझने में, बहस में, बातचीत से यह तय की जा सकती है । यहां प्रजातंत्र है । इसमें रट घसौट या हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए । गलत रास्ते से व्यवस्था को चलाने का या बदलने का तरीका नहीं अपनाना चाहिए । यह स्पष्ट बात यहां पर है । मैं यह मानता हूं कि संविधान की जो प्रतियां हैं वह हर भाषा में हों । हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना गया है, इसे आप लिंक भाषा कहें या कुछ भी कहें लेकिन संविधान में इसे राष्ट्र भाषा माना गया है । इसके साथ-साथ हिन्दुस्तान की जितनी भाषाएं हैं, चाहे तेलुगु हो, मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ हो, बंगला हो, कश्मीरी हो, इन सभी भाषाओं का मान, सम्मान होना चाहिए, सभी भाषाओं की उन्नति होनी चाहिए, सभी भाषाओं की तरक्की होनी चाहिए । हमारे संविधान का अनुवाद हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं में होना चाहिए । यह एक बड़ा देश है, यहां पर करोड़ों लोग हैं और यहां पर कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और वे अपनी भाषा में अपनी विचारधारा रखना चाहते हैं । संविधान की कापियां न सिर्फ अंग्रेजी और हिन्दी में उपलब्ध हों बल्कि देश की सभी भाषाओं में उपलब्ध रहनी चाहिएं ।

दूसरी बात यह है कि गौरव बढ़ाना हमारे हाथ में है, हमारी सरकार के हाथ में है, लोगों के हाथ में है । सरकार कोई काम अपने हाथ में लेती है तो बड़े बेहुदा ढंग से अपना काम शुरू करती है । यह बड़े अफसोस की बात है । सरकार को सोचना चाहिए । सत्ता में कोई भी पार्टी आ सकती है । आज आप बैठे हैं कल दूसरी पार्टी आ सकती है, फिर तीसरी आ सकती है । प्रजातंत्र में यही होता है । जो भी पार्टी सत्ता में हो, केन्द्र में हो या राज्य में हो, उसका यह काम है कि जो लोगों की समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं उनको समझे और उनका समाधान करे । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यह बिल मेरे सामने है, पता नहीं यह अनुवाद अंग्रेजी से है या मूल हिन्दी में ही है । अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद है या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवद किया गया है ।

श्री मोर्जा ईर्शादबेग (गुजरात) अंग्रेजी से ही होता है ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : मेरा कहना यह है, मैं पहले भी कह चुका हूं इस सदन में जब भी किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद हो-चाहे वह अंग्रेजी से हिन्दी में हो या हिन्दी से अंग्रेजी में हो या किसी और हिन्दुस्तान की भाषा में हो जो अनुवाद करने वाली कमेटी है या व्यक्ति है, मुझे नहीं मालूम कौन है, चाहे इस बिल का अनुवाद हो या दूसरी किताबों का अनुवाद हो या कंस्टीट्यशन का अनुवाद हो, मेरा कहना

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

यह है कि वे अनुवाद करने वाले सिर्फ अंग्रेजी भाषा के केवल जानने वाले न हों, हिन्दी भाषा के केवल जानने वाले न हों, बल्कि हिन्दुस्तान की दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी रखने वाले हों ताकि वह यह समझ सकें कि दूसरी भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग कैसे हो सकता है। सिर्फ एक ही किस्म का अनुवाद होता है। यहां मैं हिन्दी अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं। बोल सकता हूं, लिख सकता हूं। मैं किसी स्कूल या कालिज में हिन्दी नहीं पढ़ा हूं। मैंने घर में ही हिन्दी सीखी है। मैंने स्वयं कोशिश करके हिन्दी का अभ्यास किया है, परीक्षाएं दी हैं, पास की हैं। जब महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा आरम्भ की उस समय एक छोटा सा लड़का था। पढ़ रहा था। किसी स्कूल में तो हिन्दी पढ़ाने का कोई प्रबन्ध नहीं था लेकिन मैंने खुद इस भाषा को सीखने का प्रयास किया और सीखा और परीक्षाएं दीं। मैं यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनुवाद की कमेटियां हैं उनमें दूसरी भाषाओं के जानने वाले लोग भी होने चाहिएं। ताकि उन शब्दों का प्रयोग जब

3.00P.M. वे अनुवाद करें तो कर सकें। यह जो हमारे पास हिन्दी की प्रति है, इस विधेयक की प्रति है, जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी है, उनसे भी इसके बारे में पूछें तो वे कहेंगे, यह हमारी समझ में नहीं आती है। मैं यहां पर देखता हूं कि जिनकी मातृभाषा हिन्दी है वे भी अंग्रेजी की प्रति मांगते है। मैंने उनसे पूछा कि आप अंग्रेजी की प्रति क्यों मांगते हैं तो वे कहते हैं कि यह हिन्दी हमारी समझ में नहीं आती है। जब वह हिन्दी उनकी समझ में नहीं आती है जिनकी मातृभाषा हिन्दी है तो आप स्थिति को समझ सकते हैं।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमारे देश में जो भी काम हो वह हमारे देश के गौरव, प्रतिष्ठा और अखण्डता को किसी भी सूरत में धक्का न पहुंचाये। वह इस देश के गौरव, प्रतिष्ठा और अखण्डता की हिफाजत करे। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। सन् 1942 के आन्दोलन के दिनों में मैं विद्यार्थी था, आठवीं क्लास का विद्यार्थी था। जब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और दूसरे नेताओं को क्विट इंडिया मूवमेन्ट के दौरान गिरफ्तार किया तो हमारे दिलों में भी जोश पैदा हुआ। हमारे दिलों में भी अंग्रेजों के खिलाफ भावनाएं पैदा हुई। हमने आवाज उठाई। कई। लोगों ने कालेज छोड़ दिये, जेलों में गये। हमारे देश के कई लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। वे अपना नाम बताना भी नहीं चाहते थे। कई किसानों और मजदूरों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। इसलिए इस देश के गौरव, इस देश की एकता, अखण्डता को बनाये रखना सब की जिम्मेवारी है सब का फर्ज है। जो प्रस्ताव आज सदन में रखा गया है, इसके पीछे देश की एकता और अखण्डता की जो भावना है, देश के गौरव की जिस भावना से यह यहां पर रखा गया है, इसका मैं सम्पूर्ण रूप से अनुमोदन करता हूं। मुझे नहीं मालूम कि सरकार किस सूरत में इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी लेकिन इसके पीछे जो भावनाएं है, उनका पालन होना चाहिए। उन भावनाओं का सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से, सब की तरफ से पालन होना चाहिए।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री शिव कुमार मिश्र सदन में जो यह प्रस्ताव लाये हैं, मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हूं। आज हिन्दुस्तान की आजादी को सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वह भारत की राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को है। मुल्क की एकता और अखण्डता को बचाना ही आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साम्राज्यवादियों की साजिश के कारण एशिया के मुल्कों का बंटवारा हुआ। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, चीन, फार्मूसा आदि देशों के रूप में साम्राज्यवादि ने एशियाई देशों के टुकड़-टुकड़े कर दिये। चालीस वर्षों की आजादी के बाद भी इस मुल्क की भाषा अंग्रेजी है। जाहिर है कि हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता को भारी खतरा बना हुआ है। जब तक

अंग्रेजी भाषा हिन्दुस्तान में कायम है, तब तक भारत की अखण्डता को खतरा बना रहेगा। लार्ड मैकाले ने जिसने अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की थी, उसने जो बात कही थी उसको हर हिन्दुस्तानी को याद रखना चाहिए —

"We must do our best to form a class, which may be interpreter between us and the millions whom we govern a class Of persons, Indian in blood, but English in taste and intellect.

अगर हिन्दुस्तानियों को सदैव गुलाम बनाकर रखना है तो उनकी भाषा को बदल दो, उनकी भाषा अंग्रेजी बना दो। आजादी के चालीस वर्षों के बाद भी हिन्दुस्तान के अन्दर भारत की संसद अंग्रेजी में चल रही है। दर्शक दीर्घाओं में बैठे हुए लोग यह देखकर पार्लियामेंट को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वह हमारे संसद सदस्यों की भाषा को नहीं समझते हैं। मैं बी सत्यनारायण रेड्डी जी को भारत माता की तरफ से बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने आंध्र प्रदेश के होते हुए भी यहां पर राष्ट्रभाषा में, मातृभाषा में अपना भाषण दिया। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भाषा का सवाल आजादी से जुड़ा हुआ है। जिस मुल्क की हुकूमत मुल्क की भाषा मात भाषा में नही चलेगी वह देश अपनी आजादी नहीं बचा सकता है। मुझे संसद में तेरह साल हो गये। यहां पर दुनिया के जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आये और यहां के सेन्ट्रल हाल में उन्होंने जो भाषण दिये, चाहे वह एशिया का हो, अफ्रीका हो, अमेरिका का हो, इग्लैंड का हो, चाहे 5 लाख की आबादी वाले देश का हो, 10 लाख की आबादी वाले देश का हो, 1 करोड़ की आबादी वाले देश का हो, वहां के राष्ट्रपतियों और प्रधानमत्रियों ने अपनी मात भाषा में भाषण दिया। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे। गांधी जी ने कहा था कि अगर हिन्दुस्तान की हुकूमत मेरे हाथ में आती है तो मैं कलम की एक नोक से मात भाषा को भारत की राष्ट्र भाषा बनाऊंगा। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस...

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : राजीव गांधी हमेशा अंग्रेजी में ही बोलते हैं। ..(**व्यवधान**) ..

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष (**व्यवधान**) ...

उपसभाध्यक्ष (**श्री जगेश देसाई**) : इतना अच्छा भाषण हो रहा है और आप इस तरह बीच में बोल रहे हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : यह शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री कभी भी अपनी मात भाषा में नहीं बोलते हैं।

उपसभाध्यक्ष (**श्री जगेश देसाई**) : आप बैठिये। आप जब बिल पर बोलें... (**व्यवधान**)....

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज को, जिसमें हिन्दुस्तान के सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व था, दिल्ली चलो और जय हिन्द का नारा दिया तो उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि 'कदम कदम बढ़ाये जा खुशी के गीत गाये जा, जिंदगी है कौम की कौम पे लुटाई जा'। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बंगाली थे और बंगला उनकी मातृभाषा थी। गांधी जी गुजराती थे, गुजराती उनकी मातृ-भाषा थी। राजगोपालाचारी ने गांधी जी के नेतत्व में दक्षिण भारत में हिन्दी के लिये आन्दोलन किया और कन्याकुमारी से काश्मीर तक तथा असम से लेकर गुजरात तक भाषा का आन्दोलन चला। गांधी जी ने कहा था कि जिस मुल्क की अपनी भाषा ही नहीं होगी वह मुल्क अपनी आजादी कैसे बचा सकता है। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब मुल्क में हिन्दुओं की हुकूमत थी तो उस समय राजकाज की भाषा संस्कृत थी और जनता की भाषा पाली, अपभ्रंश पाली और हिन्दी थी। उस समय संस्कृत जानने वाले कुछ मुठ्ठीभर लोग हिन्दू राजे-रजवाड़ों की हुकूमत चला रहे थे। जनता की बोली अलग और राजा की बोली अलग। इसी-लिये हिन्दू राजाओं को बुरी तरह से विदेशी हमलावरों के सामने पराजय का मुंह देखना पड़ा और इस देश में विदेशियों की हुकूमत कायम हुई। जब इस मुल्क में मुगलों की हुकूमत कायम हुई तो राजकाल

[श्री कल्पनाथ राय]

की भाषा फारसी बनी जब कि जनता की भाषा हिन्दी उर्दू, पंजाबी, बंगाली थी। मुगलई हुकूमत जब हिन्दुस्तान में आई उसने राजकाल की बोली फारसी बनाई जब कि जनता की बोली दूसरी थी। राजकाज की बोली, उनके जमाने में अलग रही और जनता की बोली अलग रही। इसी कारण बहादुर शाह जफर को, जो कि दिल्ली का बादशाह था, अंग्रेजों से मुकाबला करने पर गहरी पराजय का मुह देखना पड़ा। उसके बाद अंग्रेजी की हुकूमत इस देश में कायम हो गई। जब अंग्रेजी हुकूमत इस देश में कायम हुई तो उन्होंने राजकाज की भाषा को अंग्रेजी बनाया। कुछ मुट्ठीभर अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने, एक कलेक्टर और एक एस० पी० एक जिले में होता था, जो मुट्ठीभर अंग्रेजी जानने वाले इन लोगों ने इस देश पर शासन किया। गांधी जी ने इस बात को समझ लिया था कि अगर इस मुल्क में लोक शाही को कायम करना है तो लोक भाषा लोक भोजन और लोक भवन के माध्यम से इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ना होगा। उसी तरह हमारे राष्ट्र के कवि श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा कि :—

"निज भाषा उन्नति अहै,
सब उन्नति को मूल।"

बिना निजी भाषा के हम तरक्की नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते। हमारे भारत का संविधान बनने वाले मनीषियों ने जो संविधान बनाया उस संविधान के अन्तर्गत हमारे देश का संविधान बनाने वालों ने कहा कि —

WE THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute. India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all; FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation.

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, धारा 343 में आफिशियल लैंग्वेज के विषय में लिखा है —

The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals. (2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement:

Provided that the President may, during the said period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devnagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.

(3) Notwithstanding anything in this article Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of—

(a) the English language, or

(b) the Devanagari form of numerals, for such purposes as may be specified in the law.

धारा 344 में लिखा है कि—

(>1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in the Eighth Schedule as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission (2) It shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to -

(a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of tho Union;

(b) restrictions on the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;

(c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in article 348;

(d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes or the Union;

(e) any other matter referrtd to the Commission by the Pesident as regards the official language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between one State and another and their use.

(3) In making their recommendations under clause (2), the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India, and the just claims and the interest of persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services.

(4) There shall be constituted a Committee consisting of thirty members, of whom twenty shall be members of the House of the People and ten shall be members of the Council of States to ba elected respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional represent ation by means of the single transferable vote.

(5) it shall be the duty of the Committee to examine the recommendations of the Commission constituted under clause (1) and to report to the President their opinion thereon.

(6) Notwithstanding anything in article 343, the President may, after consideration of the report referred to in clause (5), issue directions in accordance with the whole or any part of that report.

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, धारा 345 में लिखा है —

Svibiect to the provisions of articles 346 and 347, the Legslature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all *or* any of the official purposes of that State.

उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान को बनाने वाली सभा ने यह कसम खाई धारा 343, 344 और 345 के माध्यम से कि 1950 से संविधान बनने के 15 साल तक भारत की लैंग्वेज अंग्रेजी रहेगी और धीरे-धीरे अंग्रेजी का इस्तेमाल खत्म करते हुए, 1965 तक आते आते हिन्दी उसकी जगह ले लेगी। यह इन धाराओं का मतलब है। 1965 के बाद भारत की राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हिन्दी को होना चाहिए, मातृभाषा को, मैं हिन्दी नहीं कहता हूं, मातृभाषा को होना चाहिए।

श्री राम अवधेश सिंह : राज भाषा।

श्री कल्पनाथ राय : हां राज भाषा। लेकिन 1987 के बाद भी हम अपने मुल्क की मातृभाषा को राजभाषा नहीं बना सके हैं। यह एक बुनियादी प्रश्न है जिसके ऊपर भारत की पूरी संसद को विचार करना करना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, शर्म और लज्जा तब आती है जब हिन्दी भाषा भाषी इलाके के लोग यहां पर अंग्रेजी बोलते हैं। तकलीफ तभी होती है। अगर हिन्दी भाषा भाषी इलाकों के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात आदि जितने हिन्दी भाषी इलाके के एम पी अपनी मातृभाषा में बोलें तो जो हिन्दी नहीं जानते हैं वे हिन्दी सीखेंगे लेकिन जब हम ही अंग्रेजी बोलते हैं तो वे क्यों हिंदी सीखेंगे ... **(व्यवधान)** या, बुनियादी सवाल है। भारत की आजादी भारत की एकता, भारत की अखंडता को अगर खतरा है, आज सबसे बड़ा खतरा है तो इससे है। आज हिन्दुस्तान के सामने केवल रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या नहीं है आज भारत की एकता को सबसे बड़ा खतरा अगर है तो इसलिए है कि हम आज तक अपने मुल्क की भाषा नहीं बना सके। आज मुल्क में सम्प्रदाय धर्म के मजहब के झगड़े खड़े किये जा रहे हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कभी भी हिन्दू और मुसलमान के बीच में लड़ाई नहीं रही, लड़ाई देशी और परदेशी के बीच रही। विदेशियों ने हिन्दुस्तान पर

[श्री कल्पनाथ राय]

हमला किया और देशियों ने उसका मुकाबला किया। मगर हिन्दुस्तान में सम्प्रदायिकता, फंडार्मेटलिज्म आदि ताकतें हिन्दू, मुस्लिम सिक्ख और ईसाइयों, के, धर्म, मजहब और जाति के झगड़े उभारकर हिन्दुस्तान तोड़ना चाहती हैं । सन् 1526 में मुहम्मद बिन कासिम ने हिन्दुस्तान पर हमला किया और देशियों ने उसका मुकाबला किया। विदेशी गजनी ने हमला किया और पूरे हिन्दुस्तान ने उसका मुकाबला किया (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : उनको शांति से बोलने दीजिए ।

श्री कल्पनाथ राय : सन् 1526 से बाबर ने हिन्दुस्तान पर हमला किया । इब्राहीम लोदी की हुकूमत हिन्दुस्तान में थी, उसने और राणा सांगा की सेना ने विदेशी हमलावरों का मुकाबला किया, मगर नयी टेक्नालाजी से, नये हथियारों से सुसज्जित बाबर की सेना ने जो तोपखाने के साथ थी हिन्दुस्तान पर हमला करके उस पर विजय प्राप्त की। नादिरशाह ने, विदेशी ने हमला किया और देशियों को काटा, कत्ल किया । तैमूर लंग ने हमला किया और हिन्दू मुसलमानों का कत्ल किया तो हिन्दुस्तान में देशी और परदेशी के बीच लड़ाई रही है कभी हिन्दू और मुसलमानों में लड़ाई नहीं रही है।

सन् 1857 में जफर के नेतृत्व में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इकट्ठे होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और जब जफर को गिरफ्तार करके जेल में अंग्रेजों ने डाल दिया तो अंग्रेज कमांडर इन चीफ और उसकी मौत करने वाले हिन्दुस्तानी ने कहा :

"हमदमों में दम नहीं है,
खैर मांगों जान की,
ऐ जफर बस हो चुकी है
शमशीरे हिन्दुस्तान की
ए जफर तुम क्या लड़ोगे
तुम हार चुके हो रण प्रांगण में,
तुम हिन्दुस्तानी मुकाबला नहीं कर
सकते इन अंग्रेजों का ।"

तो जफर ने जो जवाब दिया वह हम हिन्दुस्तानियों को याद रखना चाहिए :

"गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की हम हिन्दुस्तानियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की तख्त लन्दन तक रहेगा तब हिन्दुस्तान की जब तक हम हिन्दुस्तानी ईमानदार में, देशभक्त हैं जब तक हम राष्ट्रभक्त हैं जब तक मुल्क के लिए मरना-मिटना जानते हैं तब तक हिन्दुस्तान का बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है । हम हिन्दुस्तानी गुलाम इसलिए हो रहे हैं कि हम बेईमान हो गये हैं हम चोर हैं ठग हैं राष्ट्रद्रोही हो चुके हैं इसलिए 1857 में हम गुलाम हो गये—यह कहा जफर ने ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, दिल्ली के अंतिम बादशाह जफर ने जब लड़ाई के मैदान में पानी मांगा पीने के लिए, तो अंग्रेजों ने उसके चार बेटों की गर्दन काट कर उसके सामने रख दी और कहा " "गद्दार, अपने बेटों का खून पिओ" । उस जफर को मांडले की जेल में, बर्मा की जेल में डाल दिया और जफर जब मरने लगा, तो मरने से पहले उसने वाइसराय को चिट्ठी लिखी कि ए दिल्ली के अंतिम वाइसराय हम मांडले जेल में मरने वाले हैं, हम मर जाएं, तो हमारा जनाजा दिल्ली में दफनाया जाए ।

मगर हिन्दुस्तान के वाइसराय ने कहा कि नहीं जफर को यह परमिशन नहीं मिलेगी कि मरने के बाद उसका जनाजा दिल्ली में दफनाया जाए । तो उस समय जफर ने एक गीत लिखा उस जेल में-

"लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में,
किसकी बनी र आलमे न पायदार में,
है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए,
दो गज जमीन भी न मिली कूए यार में ।"

हिन्दुस्तान के अंतिम बादशाह ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपना दम तोड़ दिया और दम तोड़ने से पहले हिन्दुस्तानियों से कह गया —

"न समझोगे तो मिट जाओगे हिदुस्तां वालों,
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दासतानों में ।"

आज मैं वही बात विरोधी दल के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान की एकता और अखंडता तुम्हें प्यारी नहीं है, तो हिन्दुस्तान की आजादी खतरे में पड़ जाएगी ... **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह : चोर लोगों से, कमीशनखोर लोगों से देश नहीं बचेगा।... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप बैठ जाइये। यह देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं ... **(व्यवधान)** मेहरबानी करके ... **(व्यवधान)**

You are not ready to hear him. How can you challenge him?

श्री राम अवधेश सिंह : जो कमीशन खोर और चोर हैं, वह देश को बचायेंगे। .... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : इनकी बात में कितना दर्द है। .... **(व्यवधान)** उनको सुनिये। .... **(व्यवधान)**

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : कल्पनाथ राय, आप अपने भाषण से बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं अपने देश से ... **(व्यवधान)** अपने शब्दों को वापिस लो ... **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद खलील-उर-रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : जो उन्होंने फरमाया वह ठीक है ... **(व्यवधान)** लेकिन जो आपोजीशन के खिलाफ ... **(व्यवधान)**

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : असल में देशभक्त हम हैं, तुम नहीं हो। आपने देश को तोड़ा है वास्तव में ... **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह : इन्होंने जो कहा कि प्रतिपक्ष के लोग जो काम कर रहे हैं, उससे देश की अखंडता और एकता को खतरा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो कमीशनखोर लोग हैं, देश का पैसा बाहर भेजते हैं उन लोगों से देश को खतरा है ... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He has expressed his view; you may differ', from him. You can have you say when you get yuor chance.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: But he has no right to accuse Opposition parties.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)

SHRI RAM AWADHESH SINGH: It is not a question of differing. Do you allow anybody to abuse the whole Opposition?

मेरा व्यवस्था का सवाल है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप बैठ जाइये।

There is no point of order. I will not all on it. This is my ruling, you can differ from him. There is no point of order. I will not allow it.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: First listen to me and then give your ruling.

मेरा व्यवस्था का सवाल है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) मैंने कहा है कि यह व्यवस्था का सवाल नहीं है। ... **(व्यवधान)**

श्री मीर्जा इर्शादबेग : यह अव्यवस्था का सवाल है ... **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह : आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): मैंने सुन ली है। मैंने बताया ना कि यह: व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

You may differ from him.

श्री राम अवधेश सिंह : नहीं, अगर आप गाली देने की इजाजत देंगे, तो हम लोग भी गाली देंगे। यह बात आप सुन लीजिए ...

[श्री राम अवधेश सिंह]

He has no right to accuse the Opposition parties. It is not question of differing.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि भारत की एकता और अखंडता को भारी खतरा है। साम्राज्यवादियों ने हिन्दुस्तान को गुलाम बनाया और एक राजा के खिलाफ दूसरे राजा को किया। हैदरअली के बेटे टीपू सुलतान की पराजय क्यों हुई ? क्योंकि अंग्रेजों ने उसके प्रधानमंत्री को तोड़ लिया था। इसलिए प्लासी के युद्ध में हम हारे और इसीलिए 1857 में हम हार गए क्योंकि अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने हमारे ही देश वासियों को तोड़ करके उनको एक-दूसरे के खिलाफ किया और हिन्दुस्तान पर हकूमत की। उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया में सी० आई० ए० की ताकतें हिन्दुस्तान को तोड़ने में लगी हैं क्योंकि हिन्दुस्तान एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों के बीच एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है क्योंकि इसी मुल्क में 40 वर्ष से प्रजातंत्र का दीया जल रहा है और गुट निरपेक्ष देशों के नेता के रूप में दुनिया के मंच पर विश्व शांति का संदेश लेकर उभर रहा है। आप माने या न मानें आज दुनिया में राजीव गांधी को एंजल आफ पीस कहा जा रहा है और उसे अमरीका और रूस दोनों शांति का दूत मान रहे हैं। अब या तो दुनिया को ये एटामिक हथियार मिटा देंगे वरना दुनिया से एटामिक हथियारों को मिटाना पड़ेगा। इसलिए दुनिया से एटामिक हथियारों को हटाना पड़ेगा वरना ये दुनिया को ही मिटा देंगे। इसके लिए विश्व शांति का काम जो कर रहे हैं, जो सुपर पावरज में मेल कराने का काम कर रहे हैं उन गुट निरपेक्ष देशों का नेतृत्व श्री राजीव गांधी कर रहे हैं। इसको दुनिया मान रही है और आप चाहे मानें या न मानें। दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतों ने एक को दूसरे के खिलाफ लड़ाया और लड़ाकर भारत की आजादी को खत्म किया, हिन्दुस्तान पर कब्जा किया तथा 1947 में जाते-जाते अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान का बंटवारा करके हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना दिए। 40 वर्ष के दौरे में पांच बार हिन्दुस्तान पर पाकिस्तान से हमला कराया। और हिन्दुस्तान में जाति-धर्म और मजहब के झगड़े उभारकर देश को तोड़ने की कोशिश की और आज फिर उन्हीं साम्राज्यवादियों की सब से बड़ी कोशिश हिन्दुस्तान को तोड़ने की है, सी० आई० ए० की पूरी ताकत लगी है, उससे आप सावधान रहिए। आज हम लोगों का राज है, हम सत्ता में हैं कल नहीं रहेंगे। एक बार हम सत्ता में थे फिर हम हार गए और आपको सत्ता मिली थी। आज हम सत्ता में हैं, हो सकता है कि कल आप सत्ता में आ जाएं लेकिन इस राष्ट्र की एकता की और अखंडता को हमें प्राथमिकता देनी होगी तभी हम भारत की इंटेगरिटी की रक्षा कर सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत के संविधान में एक संशोधन करना पड़ा है। क्या संशोधन करना पड़ा कि,

It shall be the duty of every citizen of India—

(a) to abide by the Constitution and res pect it ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovere ignty, unity and integrity of Indu;

(d) to defend the country and tender ntaional service when called upon to do so:

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversi ties: to renounce practices derogatory to the dignity of women;

it to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural envirartment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(i) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achieve ment."

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 1976 में विश्व की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत के संविधान में यह संशोधन करना पड़ा । इसी संसद में किया । यह किया कि हिन्दुस्तान के नागरिकों के क्या दायित्व हैं । जब देश में एनारकी का वातावरण बन रहा था, जब रेल की पटरियां उखाड़ने की बातें की जा रही थीं, जब फौज को बगावत करने का भाषण दे रहे थे, पुलिस रिवोल्ट करने की बात हो रही थी, जब बसों और ट्रेनों में आग लगाई जा रही थी, जब देश की प्रधान मंत्री के घर पर घेराव किया जा रहा था तो उस समय हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाने के लिए हिन्दुस्तान में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। और हमारे भारत के संविधान में यह संशोधन करना पड़ा ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्र की आजादी को सबसे बड़ा खतरा है, हिन्दुस्तान के अन्दर की और बाहर की ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती हैं । इसलिए सबसे जरूरी है कि महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह जैसे लाखों लोगों की कुर्बानियों से हमें आजादी मिली है, हमारे मुल्क के अन्दर शहीदों का खून बहा है और उस खून से आजादी का यह पौधा पैदा हुआ है, आइए, हम सब मिलकर उस आजादी की रक्षा करने के लिए, उस जनतंत्र के पौधे को बचाने के लिए, भारत की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काम करें और भारत की आजादी की लड़ाई के अतीत को सामने रखकर भविष्य के सुहावने दिनों का निर्माण करें ताकि आने वाले भारत की संतानें सुखी हो सकें ।

इन्हीं शब्दों के साथ श्री शिव कुमार मिश्र के प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं । धन्यवाद ।

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री मिश्र जी ने जो विधेयक लाया है, उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं । स्वागत इसलिए भी करता हूं कि देश के गौरव और अखण्डता के बारे में मैं जहां तक मानता हूं और इस देश की सभ्यता में, वहां तक किसी के मन में संदेह नहीं है ।

[उपसभाध्यक्ष] श्री हेच० हनुमनतप्पा) राठासीन हुए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि कभी-कभी विकृत मनोवृत्तियां हम लोगों को चिंतित करती हैं, लेकिन जहां तक इस देश का जनमानस है, इस देश के नागरिक हैं, उन सबके दिल में राष्ट्रीय गौरव तथा राष्ट्र की अखण्डता के प्रति पूरी निष्ठा है, इस बात को हम मानते हैं । हम सब लोगों को यही मानकर आगे चलना चाहिए ।

महोदय, इस विधेयक के संदर्भ में मैं थोड़ा पीछे जाकर कुछ बातें अवश्य कहना चाहता हूं क्योंकि एक नौजवान की हैसियत से हम आजादी की जंग में एक सैनिक के रूप में उस समय काम करते थे । उस समय गौरव का कोई प्रेरणा-स्रोत था, आपको याद होगा, आपने जिस झण्डे की बात की है, हमने की है.. (व्यवधान)

श्री नोर्जा ईशादवेग : आप तो आज भी बूढ़े नहीं लग रहे...

डा० बापू कालदाते : मैं तो मानता नहीं हूं, लेकिन उम्र बढ़ रही है, क्या करें। आपको याद होगा, सन् 1924 में जब इस देश में पहला झंडा-सत्याग्रह हुआ, कांग्रेस का कोई झंडा नहीं था, कांग्रेस की जो विकास की प्रक्रिया चलती रही, उसमें हमारे गौरव की एक शान, हमारे गौरव की प्रतिष्ठा का लक्षण हो, जो इस देश के नौजवानों में नई राष्ट्र भक्ति पैदा करे, इसके लिए कांग्रेस ने काफी दिन तक सोचकर एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया। इससे बढ़िया बात यह है कि इस देश में नागपुर में जो सन् 1924 में पहला झण्डा-सत्याग्रह हुआ, उसकी पहली सत्याग्रही महिला न हिन्दू थी, न मुसलमान थी, वह मादाम कामा थीं, जो कि पारसी महिला थीं। इस देश की आजादी का सारा इतिहास इस देश के सारे धर्म, मजहब, जातियों के लोगों के त्याग का इतिहास है। कोई एक परिवार के त्याग से यह देश आजाद नहीं बना, न किसी एक सख्सियत से बना यह देश आजाद बना सब मजहबों सब धर्मों के लोगों, गरीब लोगों के त्याग और उनकी समर्पता से। इसके लिए मैं आपसे कहूं कि यह राष्ट्रध्वज था, जिसके लिए लोगों ने अपनी आत्म-आहुति दी।

महोदय, मुझे याद है कि सन् 1942 के आंदोलन में जब मैं था, तब महाराष्ट्र में सिरिश कुमार नाम का 14 साल महाराष्ट्र के धुले जिले का था। क्यों मर गया ? इसलिए, कि उसके हाथ में यह तिरंगा झंडा था, वह एक जुलूस निकलकर चल रहा था कि आजादी की जंग शुरू हो गयी है, स्कूल नहीं चलेगा। आज स्कूल बंद हो जाता है क्योंकि पेपर कठिन निकलते हैं या फिर सिनेमा के टिकिट की दर बढ़ जाती है। लेकिन वह जमाना था कि आजादी की प्रेरणा हमारे जीवन में घुस गई थी कि बगैर आजादी के हम जिंदा नहीं रह सकते और इसी से प्रेरित होकर यह सिरिश कुमार बाहर निकला। अंग्रेजों के उस जमाने की जो पुलिस थी, उसमें हिन्दुस्तानी ही काम करते थे, लेकिन आदेश अंग्रेजों का मानते थे। तो अंग्रेजों के आदेशों पर उन्होंने उस बालक से कहा—इस झण्डे को निकाल दो, इसे फेंक दो। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा—मैं जान दे दूंगा, लेकिन यह झण्डा नहीं दूंगा। यह बात है बड़े बहादुर लड़के की, वह मर गया, लेकिन उसने झण्डा नहीं छोड़ा, दूसरे के कंधे पर दे दिया। सातवीं क्लास का लड़का पिटता रहा, लेकिन यह झंडे का जो सम्मान है, गौरव है उसके लिए उसने माफी नहीं मांगी और न भागकर गया। इस देश के गौरव के लिए इस देश के कई नौजवान लड़कों ने खुद का बलिदान दिया है। यह झंडा राष्ट्र को इकट्ठा करने वाला सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह रहा है। यह झंडा इस देश के सम्मान का, इस देश के गौरव का, देश की प्रतिष्ठा का, देश के प्रेरणा-स्रोत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निशान है। इसे अंतिम रूप से संविधान द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमने तय किया। अगर कोई भी इसका असम्मान करे, इसके गौरव को धक्का दे तो यह निहायत जरूरी है कि ऐसे असम्मान करने वाली शक्ति को जितना भी दंडित किया जा सकता है, किया जाय। ऐसी व्यवस्था के लिए इस विधेयक द्वारा मिश्रा जी ने सुझाव दिया है।

अब इस देश के राष्ट्रगीत की क्या स्थिति है। हम सभी जानते हैं कि यह राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र जी की कादंबरी से पैदा हुआ है। 'आनंद मठ' जिसमें कि वंदे मातरम् का गीत था और यह गीत इस देश में एक मंत्र बन गया था। आज सिनेमा के कई गीत चलते हैं—दिल के टुकड़े कई हुए कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। लेकिन वंदे मातरम् हमारी भावनाओं का, आजादी की जंग का मंत्र बन गया था। जो भी उस समय वंदे मातरम् कहता था वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला सिपहसालार था। इस भावना से लोग इस गीत को गाते थे।

मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा वे आज भी जिंदा हैं। बहुत बुजुर्ग कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। भले ही हमारी उनसे सिद्धांतों की लड़ाई हो सकती है, सियासती मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने आजादी की जंग में अपने को न्योछावर किया, उन सब का हम आदर करते हैं। ये बुजुर्ग श्री तुलसी दास जी जाधव लोक सभा के सदस्य रहे। वे शोलापुर से आते हैं। मुझे याद है सन् 1932 में शोलापुर में मार्शल ला लगा। उसमें 4 व्यक्ति मारे गए। हम बचपन में सभी गाते थे—"धन शेट्टी, शिंदे सारडा, कुर्बान हुसैनी।" कुर्बान करदो जान हिंदुस्तान को अपनी। धन शेट्टी सिंगायत थे, मराठा सारडा थे मारवाड़ी और कुर्बान हुसैनी थे मुसलमान, जो मार्शल लॉ में मारे गए। आज किसी महजब को यह अहंकार करने की आवश्यकता नहीं कि मेरे मजहब के कारण देश आजाद हो गया। देश आजाद होगा भगत सिंह के कारण, जलियांवाले बाग के लोगों से, चोरीचोरा से, नमक के सत्याग्रह से, बिनोबा जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह से। यह आजाद होगा दांडी की यात्रा से। यह राष्ट्रगीत था वंदे मातरम् और हम बड़े गौरव और शक्ति के साथ कहते थे वंदे मातरम्। यह तुलसीदास जाधव उस समय कांग्रेस कमेटी शोलापुर के अध्यक्ष थे। ये जब मार्शल लॉ में घूमने लगे तो इनको गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि आप वंदे मातरम् मत कहिए। आपके सिर पर जो गांधी टोपी है इसको निकाल जाएगी लेकिन टोपी नहीं उतरेगी। जान जाएगी लेकिन वंदे मातरम् का नारा कहना नहीं छोड़ेंगे। तो यह राष्ट्र-गीत, राष्ट्र-ध्वज इस देश को इकट्ठा बनाने के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। काश्मीर से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक एक राष्ट्रगीत चलता था और यह मंत्र देश को इकट्ठा बनाने में कामयाब हुआ। देश में एक नयी भावना पैदा करने में कामयाब हुआ और इसी भावना के कारण जिस साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, इतना अहंकारी साम्राज्य रह गया कि कभी-कभी उस पर सूरज उगता है। इन भावनाओं को हमें बड़ी संजीदगी, बड़े सम्मान और बड़ी गंभीरता के साथ लेने की आवश्यकता है ऐसा मैं मानता हूं। अब रह गयी भाषा की बात। इसमें इस का जिक्र नहीं है। राष्ट्र भाषा के संबंध में इस विधेयक में कोई विशेष जिक्र नहीं है लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि जमाना बहुत बदल गया है और हम बहुत गहरे, नीचे से नीचे गिर रहे हैं। हमारे जीवन के सारे स्तर चाहे वे संयासी हो, प्रोफेशनल हों, व्यावसायिक हों या अन्य कामों से संबंधित हों, उन सब में हमारा स्तर गिरता रहा है। एक जमाना था, जैसा कि सत्यनारायण जी ने कहा कि हिन्दी भले ही हमारी भाषा नहीं होती थी लेकिन राष्ट्रभाषा की हैसियत से हम ने उस को सीखने का और समझने का हमेशा प्रयास किया था। भले ही वह हमारी भाषा नहीं थी लेकिन हम मानते थे कि इस देश को एक भाषा की आवश्यकता है और तभी देश इकट्ठा हो सकेगा। राष्ट्र-भाषा भी हमारे देश की अखंडता में एक बहुत हथियार बनेगी जो गांधी जी के कारण इस देश को मिली थी। गांधी जी इतने कुशल थे कि उन के जैसा दूरदर्शी मैं ने आज तक दुनिया में दूसरा देखा ही नहीं और ऐसा कहना कोई अहंकार की बात नहीं होगी। मैं कितने ही दार्शनिकों को जानता हूं जिन के बारे में मेरे मन में काफी आदर है, लेकिन तो भी मैं मानता हूं कि दुनिया के आज तक के इतिहास में और खास कर हमारे इतिहास में दुनिया को नयी दिशा देने वाले, दुनिया को एक नयी दार्शनिक दृष्टि देने वाले एक नई राह दिखाने वाले गांधी जी के अलावा और कोई दार्शनिक मैं ने गांधी जी को और जिन अन्य दार्शनिकों को जानता हूं वहां तक मैं कहता हूं। यह राष्ट्र भाषा गौरव की भाषा रही है। आज हमारे यहां क्या चल रहा है। आज पब्लिक स्कूल्स खोले जा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम से द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यह कम नहीं हो रहा है, यह बढ़ रहा है और अगर मैं कहूं—कल्पनाथ राय जी मुझे माफ

[डा० बापू कालदाते]

करेंगे कि इस में सरकार का भी दोष है कि शिक्षा को जिस ढंग से लागू करना 1950 में संविधान का आप ने जिक्र किया कि जिस को सब लोगों ने मिल कर पारित किया था कि 15 साल के अंदर हम इस को कर लेंगे। हम नहीं कर पाये। अन्य कारणों को मैं जानता हूं जिन के कारण यह सब नहीं हो पाया लेकिन सरकार का दोष स्पष्ट है। राष्ट्र भाषा के साथ साथ जो अन्य राज्यों की भाषायें है उन को भी अगर हम समर्थ बनाते जाते तो जिन को हिन्दी नहीं आती उन के मन में जो यह कमजोरी की भावना है कि हम तो हिन्दी नहीं जानते और अगर सारा कारोबार हिन्दी में चलेगा तो हमारा स्थान क्या रहेगा, यह न होती और अगर उन को लगता कि हमारी भाषायें समर्थ हैं, मणिपुरी है, तमिल है, मलयालम है, कांफरेंस आफ तमिल लैंग्वेज हाल ही में मलेशिया में हुई। दुनिया के सारे तमिल के विद्वान वहां इकट्ठा हुए थे। सभी भाषाओं के साथ ऐसा हो सकता है, भले ही वह कन्नड़ हो या कोई और। आप की साहित्य अकादमी या नेशनल बुक ट्रस्ट वाले कुछ पुस्तकों का भाषान्तर करते होंगे लेकिन सुब्रमणियम भारती को महाराष्ट्र वाले उन की पुस्तकों के भाषान्तर के कारण नहीं उन की भावनाओं के कारण जानते हैं। भाषान्तर का, तर्जुमा करने का प्रयास तो चल रहा है लेकिन भाषान्तर में यदि भावना नहीं आती तो वह स्थिति कायम नहीं रह पाती और केवल शब्द मात्र रह जाते हैं। शब्द के पीछे भावना होती है। शब्द तभी समर्थ होता है जब उस में भावना मिली होती है। शब्द का सामर्थ्य तभी पूरा होता है जब उस में विचारों का परिपोष होता है और विचारों का परिपोष भावना को समर्थ बनाता है। देश में नया सामर्थ्य और भावना पैदा कर सकें यह काम हम ने एक वन्दे मातरम् शब्द से देश भर में कर पाया था। मैं इस के लिये आप को धन्यवाद करता हूं कि हम जैसे लोग जिन्होंने कुछ साल तक, चन्द सालों तक ऐसे महान और महत्तम लोगों के साथ काम किया, उन के आशीर्वाद से उन की प्रेरणा से हमें यह सौभाग्य हुआ कि उन लोगों के साथ चन्द दिन रह सकें उन की सेवा करने के लिये। जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग पूना में हुई तो उस समय महात्मा गांधी छूट कर पूना आये थे। उस समय मैं राष्ट्र सेवा दल का एक सदस्य था। अब्दुल कलाम आजाद, पंत जी और जवाहर लाल जी जैसे महान नेता वहां थे और उन के अगल-बगल वहां का और रहने का हम को अवसर घूमने मिलता था। उनके विचार, उनके शब्दों से एक ही कदम पीछे रहते थे। गांधी जी के बारे में यह लिखा गया है— गांधी जी की गरिमा के बारे में अमरीकी रे लेखक ने यह लिखा है—

THE greatest of Gandhiji does not lie in what he wears, or something like that; greatest of Gandhiji lies in the fart that his action is only one step behind his thoughts.

आज यह बात चल रही है, भाषा पर बहस यहां चल रही है। अखंडता की बात चल रही है, राष्ट्र-भक्ति की बात चल रही है। लेकिन जिस ढंग से आचरण हम करते हैं, क्या वह राष्ट्र-भक्ति का है? वह न तो देश की अखंडता का है, न देश का सम्मान बनाने का है। इसलिए इस प्रस्ताव के माध्यम से अगर मैं इस सदन से यह अपील करूं, यह दरख्वास्त करूं यह प्रार्थना करूं कि हमें उसी भावना को जाग्रत रखना है तो मैं आपको कुछ कहूं, आपके ऊपर कुछ उछाल दूं, इससे काम नहीं चलेगा। हमें आत्म-निरीक्षण करना होगा। हमें देखना होगा कि क्या इस देश का गौरव, इस देश की राष्ट्र-भक्ति, इस देश का राष्ट्र-ध्वज क्या केवल कपड़ा है, उस पर लगे रंग क्या केवल रंग हैं, या उनसे जुड़ी भावनाएं हैं? कपड़ा जब तक थान में है कपड़ा है, लेकिन जब वह रंग जाता है तो वह तिरंगा हो जाता है, उससे हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। वह हमारी भावनाओं का प्रतीक बन जाता है। इसी तरह से वंदे मातरम् शब्द में का अपने आप कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसके पीछे हमारी संवेदन

है। हमारे जीवन से वह बातें उठ चुकी हैं। हम बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण करते हैं लेकिन उनमें आचारों का कोई तालमेल नहीं है। जब तक आचार और विचारों का तालमेल नहीं होगा, तब तक आप कितना भी कहिए, देश की अखंडता की प्रक्रिया कठिन होती जाएगी।

मैंने कभी-कभी यह कहा है कि मैं आज 1987 को 1947 से ज्यादा खतरनाक साल मानता हूं। 1947 में हमारे सिर्फ दो टुकड़े हुए थे। हमारे मन के विरुद्ध बात थी वह। मुझे याद है कि गांधी जी उस सम्मेलन में उपस्थित थे जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था। मैं उस समय स्वयंसेवक था। जब कांग्रेस ने विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया तो श्रीमती अरुणा आसफ अली जो समाजवादी दल में काम करती थीं, उन्होंने भावनात्मक भाषण किया। गांधी जी से उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि इस देश का विभाजन मेरे शरीर के ऊपर से ही हो सकता है, मैं विभाजन नहीं होने दूंगा, तो आप आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अरुणा आसफ अली की पीट थपथपाई और कहा कि हां यह हो रहा है। लेकिन उस समय देश के दो टुकड़े हुए थे, आज हमको देश के 50 टुकड़े होने का भय दिखाई दे रहा है। गलती किसकी है, उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। मेरी आदत नहीं है कि विषय को छोड़कर मैं कहीं कहीं जाकर दूसरों पर कीचड़ उछालूं। लेकिन जब समय आएगा तो गलती की भी बात करूंगा। वास्तविकता यह है कि दो टुकड़े तो हो चुके हैं और कितने टुकड़े बनने चले हैं, बनने वाले हैं, इसकी गहरी चिन्ता हम लोगों को आज हो रही है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि यह न होने पाए। ऐसा न होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसका क्या उपाय हो सकता है, इसकी तरफ हमको ध्यान देना होगा। केवल कहने से भावना पैदा नहीं होती। विकास के प्रयास में दोष किसका है, हमारे सियासती दलों का है, इन सब दोषों को कब मिटाया जाएगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो हम जनता के नुमाइंदे हैं, यहां सदन के सारे लोग भी गंभीरता से इन चीज़ों को लें और जो भी उनको दुरुस्त करने के लिए जरूरी हो, भले ही वे सरकारी पक्ष के हों या विरोधी दलों के, इसका एक प्लेटफार्म हम बनाएं जिसके द्वारा ऐसे मसलों को एक साथ बैठकर हल कर सकें, ऐसी हवा देश में बन जाए तो मैं समझता हूं कि देश की अखंडता को क्षति पहुंचाने वालों का हम मुकाबला कर सकते हैं। सबसे बुरी बात मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को जो आज लगती है वह यह है कि देश की सैंसेटिविटी संवेदनशीलता बिल्कुल खत्म होती जा रही है। जो पुराने, बुजुर्ग लोग हैं उनको याद होगा कि चोरीचोरा का कांड यू पी में हुआ था जिसके बारे में गांधी जी के खिलाफ हम शिकायत करते थे, यह अलग बात है लेकिन यह कांड सिर्फ चोरीचोरा तक सीमित नहीं रहा सारे देश में फैल गया। जलियांवाला काहै जो हुआ वह सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा वह भी सारे देश में फैल गया। एक जगह के बलिदान ने सारे देश को जगाया। एक संवेदनशील राष्ट्र में ऐसा होता है कि कहीं किसी एक जगह पर अन्याय हो तो सारा देश खड़ा हो जाता है। कहीं किसी एक जगह पर खतरा हो जाता तो सारा देश सजग हो सकता। कहीं किसी एक जगह पर कुछ हुआ कि सारा देश उसके लिए भागता था। 1905 में बंगाल के विभाजन का एलान अंग्रेजों ने किया। सिर्फ बंगाल खड़ा नहीं हुआ, लोक मान्य तिलक महाराष्ट्र से उठकर आए और बंगाल के विभाजन के खिलाफ सारे राष्ट्र में एक अभियान उस समय चलाया गया। बंगाल को धक्का लगा तो महाराष्ट्र जाग्रत होता है। जलियांबाला बाग में कत्ल होते हैं तो सारा देश उठ कर खड़ा होता है अंग्रेजों के खिलाफ। यह संवेदनशीलता है आज हम खो बैठे हैं। हमारी संवेनशीलता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। लोग मारे जा रहे हैं, श्रीलंका में लोग मारे जा रहे हैं। वे बेचारे

[डा० बापू कालदाते]

तमलिनाडु के लोग हैं। वहां लगता है बहुत लोग मारे जा रहे हैं। जैसे-जैसे हम ऊपर के इलाके में जाते हैं, दूर जाते हैं तो लगता है बहुत कुछ नहीं। पंजाब के लोग मारे जाते हैं। पंजाब के अगल-बगल के इलाकों में तो कुछ असर दिखाई देता है। लेकिन और दूसरे राज्य के लोग यह सोचने लगे हैं कि यह तो रोज ही चल रहा है। अगर राष्ट्र की संवेदनशीलता ही खत्म हो जायेगी तो अखंडता साम्भाव्य नहीं है। यह बात मैं कह सकता हूं—नेशनल सेंटीविटी मस्ट बी देयर। यह बात मैं कह रहा हूं कि जिस दिन राष्ट्र की संवेदनशीलता घटती जायेगी उस दिन हमारी अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जायेगा।

मैं इस सदन में आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित करिये। मैं मंत्री जी से भी कहूंगा कि जरूर इस बारे में सोचिए। पारित करिये या न करिये लेकिन उनकी भावनाओं को समझ लीजिए। मैं यह मानता हूं कि यह जो घटती हुई संवेदनशीलता है, इसमें जो गिरावट आ रही है इसको रोकना होगा। जो विकासशील देश हैं उनका सबसे बड़ा क्राइसिस यह है कि वह लोगों की आकांक्षाओं को समझे। आर्थिक दृष्टि से उनको समझे। मैं इसे कहता हूं इनफलेशन आफ एक्सेप्टेशंस। जैसे इनफलेशन आफ मनी हो जाता है तो रुपये में गिरावट आ जाती है वैसे ही हमारी आकांक्षाओं में इनफलेशन आयेगा तो वास्तव और आकांक्षाएं मेल नहीं खायेंगी। और जब वास्तव और आकांक्षाएं मेल नहीं खाती तो लोग एक्स्ट्रीमिज्म की तरफ जा कर कुछ करना चाहते हैं। जो कुछ नहीं कर पाते वे निराश होकर बैठ जाते हैं और जो बचे होते हैं वे किसी न किसी ढंग से अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं। मैं यह कहता हूं कि तीनों पंक्तियां डेविएशंस हैं। इसको कम करना होगा। सही आकांक्षाओं को सही व्यवस्था के रूप में ढालना होगा तभी सही संवेदनशीलता प्रकट होगी। सही राष्ट्र प्रेरणा, राष्ट्र भक्ति हम को जगानी होगी। देश को बचाने के लिए, देश को अखंड रखने के लिए, इन भावनाओं को फिर से जागृत करने के लिए मेरा सुझाव है कि हम लोग इस दृष्टि से देखें और यह प्रतिक्षा करें कि हम लोगों ने जिन उसूलों को लेकर इस देश को एक बनाने का प्रयास किया था, जिन बुनियादी सिद्धांतों को लेकर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, कदम-कदम पर हम यह समझें कि यह राष्ट्र की सम्पत्ति है, यह राष्ट्र की देन है इस राष्ट्र की देन को सिर्फ कायम न करें बल्कि इस राष्ट्र की देन को मजबूत करने का प्रयास भी हम सब मिलजुल कर करें, इस भावना के साथ मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

ठाकुर जगतपाल सिंह (मध्य प्रदेश) : नेशन काज के लिए जो यह खड़े हैं तो पूरा नेशन इनके साथ खड़ा होगा। लेकिन जब सेल्फ इंट्रेस्ट आ जाता है तो नेशन साथ नहीं देता। लोग मारे जायेंगे।

श्री वीर भद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी आपने वर्तमान बापू के विचार सुने। मैं अपने वर्तमान बापू को आश्वस्त करना चाहता हूं। यह विधेयक हमारी संवेदनशीलता का प्रतीक है। यह विधेयक स्वतः इस बात का द्योतक है कि हम इन विषयों में संवेदनशील हैं परन्तु प्रश्न विधेयक का है, प्रश्न मूलतः भाषा, इतिहास और राजनीति का इस वक्त नहीं है। मुझे थोड़ा इस बात का दुःख है कि चर्चा विधेयक पर बिलकुल नहीं हुई है, अधिकतर विषयान्तर ही होता रहा है। मैं एक बात जरूर विषयान्तर करके कहना चाहता हूं। यहां पर प्रश्न मातृभाषा का उठाया गया। मुझे बड़ा दुःख है कि इस देश में रहने वाले अपनी मातृभाषा नहीं जानते हैं। मातृभाषा वह हुआ करती है जो बच्चा अपनी मां से अपनी मां की गोद में बैठकर सुनता है। मेरी मां मुझ से भोजपुरी में बात करती थी। यह बड़ी सरस और मधुर भाषा है। अपनी मां से

का महत्व है। लेकिन हमने आज इन बातों को खो दिया है। हमारे जैसे लोगों के लिए यह दुख की बात लगती मैंने जो भाषा सुनी वह भोजपुरी थी। भोजपुरी के माध्यम से मैंने अपनी मांग को समझने का प्रयास किया। तत्पश्चात मैंने समाज को समझने का प्रयास किया और वह भी मैंने अपनी मां की भाषा के माध्यम से किया। जब हमारा शरीर कुछ बड़ा हुआ और हम अपने पैरों पर खड़े हुए तो स्कूल में पहुंचने लगे। वहां मुझे जो भाषा पढ़ने और सुनने को मिली उसको उस वक्त खड़ी बोली का नाम दिया जाता था और उसी को बाद में हिन्दी कहा जाने लगा। मगर इस देश की एक दूसरी भाषा भी हमने अपने स्कूल में पढ़ी जिसको उस जमाने में दीगर ज़बान कहा जाता था, जिसको उर्दू कहते हैं। उसके बाद जब हम स्कूल से चलकर न्यायालय में पहुंचे तो मेरे कानून के गुरू जो एक मुसलमान थे, उन्होंने मुझे अर्जी दावा दाखिल करना सिखाया। उस वक्त हम वाद-पत्र नहीं कहते थे। उस वक्त हम मद्दई मुस्तदाई अर्जी जैलक कहते थे। "निम्नांकित वाद-पत्र प्रस्तुत करते हैं" बाद में आया। इसलिए मैं अपने मित्रों को सावधान करना चाहता हूं कि वे अपनी मातृभाषा को न भूलें। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम उसका आदर करते हैं, उसके प्रति समर्पित हैं और भारत की जो 15 राष्ट्र-भाषाएं हैं, हम उन सब की प्रतिष्ठा करते हैं। किन्तु हमें इतनी जल्दी अपनी मातृभाषा भोजपुरी को भी नहीं भूलना चाहिए। जो भूलते हैं वे अपनी मातृभाषा के प्रति दोष के दोषी हैं।

अब प्रश्न इस विधेयक का है। मैं कुछ चीजें विधेयक के संबंध में कहना चाहता हूं। मिश्र जी को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने विधेयक हिन्दी में प्रस्तुत किया। राष्ट्रभाषा में प्रस्तुतिकरण को हम संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता दे चुके हैं। किन्तु कानूनी विषय है, जो इस प्रकार त्रुटियां हैं उनकी तरफ मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि वे इसमें सुधार करेंगे। सर्वप्रथम मैं उनका ध्यान धारा 8 की उपधारा धारा 3 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे, इसमें लेखबद्ध नहीं हैं, एक मौलिक, सैद्धान्तिक सवाल की ओर विधेयक प्रस्तुतकर्ता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चूंकि धारा 3 में उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय सरकार उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उस व्यक्ति की नागरिकता प्रत्यावर्तित कर सकती है, जिसे उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उससे वंचित किया जा चुका है, किन्तु नागरिकता के न रहने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के बाद ही। चूंकि आपने इस विधेयक में लेखबद्ध नहीं किया है अतः आप विधायिका के कार्यक्षेत्र ले

4.00 PM रहे हैं। इसकी अनुमति आपको कानून नहीं देता है क्योंकि हमारे संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका भिन्न हैं। इसलिये जो भी आपको लेखबद्ध करना है, जो भी मूलभूत सिद्धांत आप विधयक के द्वारा लेखबद्ध करना चाहते हैं वह आप कार्यपालिका या सरकार पर नहीं छोड़ सकते। जब आपने सरकार पर छोड़ दिया तो उसको अंग्रेजी में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के सिद्धांतों के आधार से वह नष्ट हो जायेगा। इसलिये आपका यह धारा निर्मूल होगी। जो आपने लेखबद्ध किया है वह विवेचित नहीं है। मैं मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि जब आप एक अच्छा विधेयक लाये हैं, एक सारगर्भित विधेयक लाये हैं—राष्ट्र की संवेदनशीलता के लिये एक अच्छा विधेयक लाये हैं, जो कि स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें जो कानूनी त्रुटियां हैं उनमें वे सुधार करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मिश्रा जी ने अपने चिन्तन एवं विचार मग्नता का परिचय देते हुये इस विधयक पर हमें बोलने का अवसर दिया है। मैं इसके दो प्रश्नों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक तो है भारत का ध्वज और दूसरा संविधान।

जहां तक भारत के ध्वज का प्रश्न है मेरे मित्र ने इस बात का वर्णन किया है उसमें

[श्री वीरभद्र प्रताप सिंह]

हम सभी की भावनायें सम्बद्ध हैं । राष्ट्रीय ध्वज जो चरखा युक्त है वह राष्ट्रीय आंदोलन का ध्वज है और वह हमारे दल का ध्वज है । लेकिन राष्ट्रीय ध्वज चरखा युक्त नहीं बल्कि इसमें अशोक चक्र बना है । इस विधेयक के जरिये उस चक्र युक्त राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की कल्पना की गई है जो स्वागत योग्य है । एक प्रश्न बार-बार उठाया जाता है और वह भारत के संविधान के सम्बन्ध में है । इसलिये इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा विवेचन आपकी आज्ञा से करना चाहता हूं । भाषा के प्रश्न को आप लीजिये । हमने पन्द्रह भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दे दी है और हिन्दी को हमने राष्ट्र भाषा घोषित किया है और संविधान का मूल हिन्दी और अंग्रेजी में दोनों है जो 1950 में पारित हुआ था तो इस पर किस तरह से आक्रोश किया जाता है यह मेरी समझ में नहीं आता है । क्या इस देश के लोग जो भारत को गणतन्त्र का स्वरूप दिया गया है और गणतन्त्र में विभिन्न राज्यों को सम्बद्ध किया गया है तो क्या वे यह भूल जाते हैं कि यहां का संविधान कैसा है । जब आप यह बहस करते हैं, राज्य और केन्द्र के संबंधों के बारे में विवेचन करते हैं तो क्या आपको मालूम नहीं कि यहां का संविधान कितना लचीला है । यही एक संविधान है जिसमें कई बार संशोधन किये गये हैं । बार-बार संशोधन करने का तात्पर्य यही है कि संविधान लचीला है । यह संविधान टूटेगा नहीं । न तो संविधान टूटेगा और न संविधान से चलने वाला देश टूटेगा । मैं आशान्वित हूं, मैं निराशा के वशीभूत नहीं हूं । चाहे ऐसी भावना उधर से व्यक्त की गई हो और चाहे इधर से व्यक्त की गई हो । अगर भारत के संविधान की आत्मा को आप समझ लेंगे तो आप इस निराशा से छूट जायेंगे कि ऐसा होने पर यह देश टूट जायेगा । ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं के सूझबूझ से, अपने चिंतन से, अपने विचारों से समझबूझकर इसके विभिन्न रूप विभिन्न धर्म, विभिन्न सम्प्रदाय, विभिन्न क्षेत्र और विभिन्न जलवायु सबको ध्यान में रख कर यह लचीला संविधान बनाया है । इसलिये हमको आशा रखनी चाहिये कि यह देश टूटेगा नहीं । इसीलिये हमने इसमें बार-बार संशोधन करके परिस्थितियों के अनुकूल, देश की विकासशील आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया है । हम गौरवान्वित हैं कि वह हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है किन्तु यह इस बात का द्योतक है कि हमारे संविधान के प्रति कहीं भी किसी प्रकार की मतभिन्नता नहीं होनी चाहिये और जब जब उसकी स्थानीय विचारों से टकराहट हुई है मैंने उस टकराहट को फौरन दूर किया है संविधान संशोधनों के लिये जरिये और हम उनकी क्षेत्रीय भावनाओं के प्रतिकूल बनायें । हमारे जो संविधान निर्माता थे जो विचारशील लोग थे जिसमें हर विचारधारा का प्रतिनिधित्व इस देश का रहा है जब कोई व्यक्ति यह कहता है दोनों तरफ से हम सुनते हैं कि टूट रहे हैं, टूटने वाले हैं या कोई तोड़ देगा तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग भारत के संविधान को नहीं समझते हैं इसलिये वे लोग बहकी बहकी बात करते हैं बिना उसको समझे चाहे जो कह देते हैं । इसलिये मैं विनम्र शब्दों में अनुरोध करूंगा मिश्रा जी ने संविधान के प्रति बहुत आदर की भावना व्यक्त की है इस संशोधन के जरिये वह बहुत ही सराहनीय है । अब मैं उनकी दो तीन चीजों के बारे में अपनी राय देना चाहता हूं । उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण विधेयक के साथ जोड़ा है इसमें दो तीन मुख्य हैं । धारायें तो कानून सही मगर स्पष्टीकरण कानून विरोधी हैं । अगर यह स्पष्टीकरण रखे जायेंगे तो वह किसी भी न्यायालय के जरिये समाप्त कर दिये जायेंगे । जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि यह संविधान के अल्टर-वाइरीज तो न हों मगर यह कानून के अल्टर-वायरस जरूर हो जायेंगे । इसलिये जब हिन्दी अंग्रेजी में कोई कानून बनावें तो इस बात का ध्यान रखें । इस देश में और बहुत सारे कानून हैं और कानूनों में जब टकराहट होती है तो कहीं वह टकराहट संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन तो नहीं करती है या मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना तो नहीं कर रही है । इसलिये मैं श्री मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम तीन जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिये हैं उनकी तरफ वह ध्यान दें । उनका संशोधन है धारा 2 का पहला स्पष्टीकरण तीसरा स्पष्टी-

करण, यह अनुचित है, यह चलेगा नहीं। यह संविधान की धाराओं के उल्लंघन में आएगा। इस लिये वह टूट जाएगा अदालतें उनको मान्यता नहीं देंगी। इसलिये आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। जिन विषयों पर बहुत से कानून हैं मैं यह कह रहा हूं कि जब हम कोई नया कानून बनाते हैं तो हर चीज पर लिखने लगते हैं। हमारे पास भारतीय दंड प्रक्रिय संहिता है उसके बाद अगर उससे काम चल जाए तो क्या यह आवश्यक है कि आप इस में उसी बात की लिख दें। वह चीज चार जगह चार दफा चार कानूनों मे लिखी जाएगी तो किसी भी दिन जब अदालतें विवेचन करेंगी तो चारों का समीकरण करने लगेंगी तो हो सकता है कि आपका कानून और कमजोर पड़े। इसलिये अदालतें उसको मान्यता नहीं दें। इसलिये यह भी विधि निर्माण का एक नियम है कि इस तरह से परस्पर विरोधी जो धारायें हैं या जो समान न्तर धारायें अन्य विधि पुस्तकों में उपलब्ध हैं उसी के समानान्तर या उसी के अनुरूप हैं मेरा पहला यह विचार था कि संविधान का उल्लंघन करने वाली धारा या उपधारा को मत लाइये और जो दूसरे कानून उपलब्ध हैं भारत के अन्दर उनके समानान्तर भी आप धारायें मत लाइये। इसमें कई धारायें हैं जो ऐसी हैं उन पर मैं आपको राय दूंगा इसलिये इस कानून में कई जगह संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि आपने संविधान की अवहेलना के साथ-साथ समान तर धारायें रखी हैं और इन धाराओं से विधेयक बनाना उचित नहीं है। अब आप से तीसरी और सैद्धांतिक अवहेलना कानून की हुई है। जो मूल धारा के उल्लंघन में आपने सजा दी है उसको उकसाने की सजा भी वही रखी है आपने, यानी मेन जो दंड है वही उकसाने का भी, जो दोषी है तो दोनों को आप एक समान स्तर पर क्यों रखते हैं। न्यायपालिकायें कहेंगी कि उतना ही दोष दण्ड करने वाले का है और उतना ही दोष दण्ड उकसाने वाले का होगा। मैं समझता हूं कि यह नियमतः बाध्यता तो नहीं है मगर न्यायपालिका की नियम परिधि के अन्दर इसकी विवेचना आवश्यक है कि उकसाने वाला कम दोषी होगा। जब आप यह विधेयक बनाते हो तो इसकी भी आप विवेचना करो। मैंने तीन स्थानों पर पाया कि जो मुख्य नियम तोड़ने वाले की सजा है वही उकसाने वाले की भी सजा है, इसको समानान्तर मत करो क्योंकि कानून बहुत लम्बा चौड़ा है, जब आप कहते हैं कि 6 महीने से 7 साल की सजा हो जायेगी तो जज यह कहता है कि हम तो 7 साल की सजा करते हैं मगर परिस्थिति ऐसी अभिभूत है कि हम 9 महीने की सजा से इनको बरी कर दे रहे हैं। यह कानून बनाने की एक प्रक्रिया है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विधेयक अच्छा है, इसमें राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा है, ध्वज की रक्षा है और हमारी संवेदनशीलता का प्रतीक है लेकिन मैं बापू कालदाते जी को फिर बताना चाहता हूं कि हम उन्हीं संवेदनशीलता के सिद्धांतों से प्रभावित होकर कह रहे हैं कि आप ने जो यह बिल पेश किया है इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि मालूम होता है कि कुछ जल्दी में और जो कानून बनाने के नियम हैं उनका न पालन करके, आपने उसको रख दिया है। किंतु विधेयक की भावना अति उत्तम है, विधेयक के पीछे विचार उत्तम है, विधेयक के पीछे जो हमारी मान्यतायें हैं, जो हमारा मन्तव्य है वह बहुत ही सुंदर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करते हुये आशा करता हूं कि आप इसकी नियमगत दशाओं का निवारण करेंगे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मिश्र जी ने जिस भावना से, जिस विचार से और जिन परिस्थितियों को देखते हुये यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसकी सामयिकता और उसकी प्रासंगिकता के लहजे में मैं अंतरण से इसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।" यह हमारी जन्मजात मान्यता भी है और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि हजारों वर्ष से हमारे ऊपर आक्रमण हुए, हमें तोड़ा गया, हमें मरोड़ा गया, हमें विनाश करने का प्रयास किया गया, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को हमारी परम्पराओं को नष्ट करने का प्रयास किया गया फिर भी हमने आज तक इनकी रक्षा उक्त मुक्त वाक्य से की है और आगे भी हम करते रहेंगे। जिस भावना से हमारे बापू कालदाते जी ने उस आंदोलन को, उस आंदोलन में अपने को शरीक करते हुये, उस समय की भावना को

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

आज के संदर्भ में प्रस्तुत किया है मैं उनका भी आदर करते हुए उन बातों से सहमति व्यक्त करना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष जी, एक सवाल प्रकट कर इस पर विचार करना चाहता हूं कि आज इस विधेयक की प्रासंगिकता क्यों है ? मिश्र जी को क्यों आज इस विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी ? उन्होंने देखा कि देश में कहीं कहीं संविधान के पन्नों को जलाया जाता है । कहीं-कहीं राष्ट्रीय ध्वज को अपमान भी सहना पड़ता है । इसको देखकर निश्चयपूर्वक जो भाव हमारे मित्रों ने प्रकट किये हैं कि देश के प्रति खतरा है क्या, मैं इतना तो कहना चाहता हूं कि देश की जनता जब-जब 1962 को, 1965 को, आक्रमण होता है विदेशी का, तो एक-एक बच्चा खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर देश के लिये मर-मिटने की तमन्ना प्रकट ही नहीं करता है, बल्कि उसमें आहुति भी देता है, लेकिन इतिहासकार जो देश के कर्णधार हैं, उनको इतिहास की सावधानी भी बरतने के लिये कहता है ।

यह देश कभी-कभी अगर टूटता है, तो जब जय चंद, मीर जाफर जैसे देशद्रोही होते हैं, तब । इसलिये इतिहासकार को इसको नहीं भुलाना पड़ेगा कि देश में त्यागी हैं, देशभक्त हैं, लेकिन उसमें कुछ मति भ्रम करने वाले भी हो सकते हैं । हम जानते हैं कि दो राष्ट्रों का, दो प्रकार की एजेंसी सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है—कहीं उसको सी० आई० ए० कहें, कहीं के० जी० बी० । तो यह अपनी-अपनी ताल से—अगर हम उनके अनुकूल हैं तो ठीक हैं, प्रतिकूल हैं, तो उस प्रतिकूल को अनुकूल करने के लिये वे षड़यन्त्र रचते रहते हैं ।

इसीलिये आज इस तरह की आवश्यकता है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि प्रसांगिकता क्यों ? अंग्रेजों ने आक्रमण करने के लिये पहले प्रवेश नहीं किया था । यहां व्यापार करने के लिये आये थे और व्यापार करते-करते साम्राज्य स्थापित किया, इन्हीं मीर जाफर जैसे लोगों की बदौलत । मुझे क्षमा करें भारत सरकार का सरकारी तन्त्र आज पुनः इस तरह के यहां काम करने जा रहे हैं——बहु—राष्ट्रीय कम्पनियों को हिंदुस्तान में आने का मौका दे रहे हैं । मैं सावधान करना चाहता हूं कि यह बहु—राष्ट्रीय कम्पनियां——आज अर्थतन्त्र का युग है, आर्थिक दृष्टि से हमें यह घेरने का प्रयन्न न करें । अगर देश की सरकार सावधान नहीं रही, तो मैं समझता हूं मल्टीनेशनल कम्पनी हमारे लिये कभी भी खतरा पैदा कर सकती है ।

इसलिये मल्टीनेशनल जयचन्द, मीर जाफर का इतिहास राष्ट्रीय कर्णधारों को नजर हमेशा खुली रखने के लिये, नब्जों पर हाथ रखने लिये बार-बार आकर्षित करता है ।

श्रीमन्, संविधान की बात आई है—आज भी आप ने संविधान में धारा 370 है । जब राष्ट्र का कोई विधान बनता है, तो उसमें लिखा जाता है कि धारा 370 के हिसाब से जम्मू—कश्मीर को छोड़ कर जो बाहर से आकर के आजादी के काल से ही रह रहे हैं, वे आज भी धारा 370 का भुगतान हजारों-हजार लोग भुगत रहे हैं । वह देश की लोक सभा के चुनावों में तो भाग ले सकते हैं लेकिन वहां की विधान सभा में नहीं । तो इस तरह की अनेक धारायें, हैं, जो इस देश में कभी-कभी बाधक का रूप अख्तियार कर लेती हैं ।

इसीलिये मैं संविधान में इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । संविधान का ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्र-भाषा—और किसी भी राष्ट्र का कोई प्रतीक होता है, कोई चिन्ह होता है, कोई पहचान होती है । उस पहचान को स्वतन्त्रतापूर्वक हम कैसे दुनिया में प्रकट कर सकते हैं, जब तक कि इसको अपने देश में ही हम प्रकट न करें सकें ।

इसलिये संविधान को तो हम आवश्यकतानुसार बदलते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो बदलने की नहीं होतीं है, उसको भी हम बदलते हैं ।

बंदे मातरम् पर बापू कालदाते जी ने उसके सारे इतिहास को भावमय दृश्य में रखा । लेकिन मैं अगर सवाल सरकार से पूंछू कि वंदे मातरम् ही राष्ट्रगान क्यों नहीं रहा, जिस राष्ट्रगान ने देश को उद्वेलित किया, हरेक ने उसके नाम पर फिदा हो करके त्याग

SHRI V. GOPALSAMY: Vivekananda

किया, उसको दूसरे स्तर पर क्यों रखा गया ? मैं कोई राष्ट्रगान जन गण-मन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिस भावना का प्रतीक वंदे मातरम है उस भावना का प्रतीक जन-गन-मण नहीं है और हो भी नहीं सकता । इसके रचयिता महान हैं उनका मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन यह तो अपना इतिहास स्वयं बना गया है । इस इतिहास को अगर पुनः आप सावधानी-पूर्वक नहीं लेंगे तो जिस विषय की प्रासंगिकता के बारे में मैंने आप से प्रश्न किया भावना उठाने वाली बातें क्या होंगी ? जिस भाव पर, अर्थ पर नहीं, पैसे पर नहीं, भाव पर जीवन आहुति देता है व्यक्ति वह भावना भरने वाला कौन सा गान होगा ? आज आप देखें आपके साहित्य में, आपके पाठ्यक्रम में कितनी कवितायें हैं, कौन से ऐसे गान हैं जो देश के बच्चों को, देश के किशोरों को उसमें राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाते हों । आज हम वंदे मातरम भूलते जा रहे हैं और जब कोई वंदे मातरम भूलेगा तो अपने त्याग का और अपने इतिहास का भी कुछ स्मरण करेगा ? इसलिये मैं इस बात को उठाना चाहता हूं । जहां तक ध्वज की बात है, मैं एक कहानी कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानन्द कितने बड़े महापुरुष हुए । वह जब विदेशों में भ्रमण कर रहे थे तो उनके पास एक पुस्तक थी जिसमें सभी राष्ट्रों के झंडे थे, ध्वज थे । एक बालक किशोर उनके पास आता था , वह पुस्तक उलटाता था । वह बालक आता था ।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): He spoke in English.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अगर मुझे तमिल आती तो मैं आपका सम्मान अन्तःकरण से करता ।

gave a historic address in English in Chicago.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): That was in a foreign country.

SHRI V. GOPALSAMY: He could express his views in English.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैंने तो कहा है अगर मुझे तमिल आती होती तो उस तमिल भारती में निश्चितपूर्वक बोलता और आपका ही सम्मान नहीं मैं तमिल का सम्मान करता । आपके दिल में चाहे जो भावना हो, आपकी भावनायें चाहे जो हों . . . (**व्यवधान**) ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : इनको हिन्दी का नेता बना दीजिए फिर सब ठीक हो जाएगा ?

SHRI V. GOPALSAMY: Sir. cutting across party lines, this side and that side all have become united about Hindi fanaticism.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उपसभाध्यक्ष जी, जहां पर हिन्दी फेनेटिसिज्म की बात होगी मैं भी उसका विरोध करूंगा, आप ही नहीं और हिंदी राष्ट्रभाषा हिन्दी नहीं रही राजभाषा हिन्दी है । राष्ट्रभाषा मैं समझता हूं कि होनी चाहिये थी यह शब्द होना चाहिय था । लकिन हुआ राजभाषा । राजभाषा तो हर राज्य में है चूंकि वहां पर भी कुछ न कुछ तत्व विवेचन की गलती हुई । हर राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं उसी राज्य की राजभाषा तो होनी ही चाहिय थी और हिन्दी को राष्ट्र की भाषा होना चाहिये था। अगर राष्ट्र से भी दुख होता है तो जनसम्पर्क की भाषा और सवाल यह है कि जन सम्पर्क की भाषा हमको विकसित करनी पड़ेगी । हम चाहे कितना भी प्रयास करें, कितने दिनों तक हम विदेशी भाषा ले जा सकत हैं ? अंग्रेजी अंग्रजी किसी कीमत पर न हमारी संस्कृति की भाषा हो सकती है चूंकि संस्कृति की भाषा हमारी सभी राष्ट्र भाषाएं ही हो सकती हैं दूसरी भाषा हो ही नहीं सकती क्योंकि राष्ट्र का, उस देश के इतिहास का, उस देश की संस्कृति का, देश की भूमि का, मिट्टी का, नदी का, जंगल का, पर्वत का, उस देश की हवा का, उस मंदाकिनी का वर्णन दूसरी भाषाओं में नहीं मिल सकता है । और तो और विदेशी भाषा हमारी भाषा को ही नहीं हमारी संस्कृति को भी विकृत करती है । मैं इसका कई बार उदाहरण दे चुका हूं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यह जरूर कहना

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

चाहता हूं कि भारतवर्ष की बाहर अगर पहचान होगी तो वह किस चीज से होगी? मैं बार-बार कहता हूं कि दूतावास में आप क्या करते हैं? क्या भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हैं? नहीं करते हैं। आप अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार करते हैं। आप दूर को छोड़ दीजिये, मैं नेपाल की बात करता हूं, नेपाल में जब भारतीय संस्कृति और अंग्रेजी का प्रचार करते हैं तो मैंने खुद उनके मुंह से कहते सुना है कि तुम से अंग्रेजी क्यों सीखें, सेकेण्ड ग्रेड अंग्रेजी है यह, क्यों न हम यह अंग्रेजों से सीखें, जिनकी एम्बेसी यहां पर तैयार है। अगर यह पाश्चात्य संस्कृति सीखना है तो उनसे क्यों न सीखें, तुमसे क्यों सीखें?

महोदय, हमारे एक मित्र को कहा, एक डाक्टर मित्र को उसके मित्र ने कि तुम यह चिट्ठी अंग्रेजी में लिख रहे हो, क्या तुम्हारे भारतवर्ष में कोई तुम्हारी विकसित भाषा नहीं है, जिससे तुम अपने घर वालों को चिट्ठी लिख सको। उसने उसका मनोभाव नहीं समझा और कहा कि हमारी बंगला भाषा ऐसी है, हमारी तमिल भाषा ऐसी है, तेलगू भाषा ऐसी है, मराठी भाषा ऐसी है, संस्कृत ऐसी है, एक दर्जन भाषाएं गिना दीं कि दुनिया की किस समृद्धशाली भाषा का मुकाबला कर सकती है। एक बार तो उसने विश्वास नहीं किया, कहा कि गलत बोलता है। . . . (व्यवधान)

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, there is one solution for the population problem. If yon ask all the doctors to give prescription in Hindi, you can solve the problem.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं उसका भी जवाब देने में समर्थ हूं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आपने उसकी भावना को नहीं समझा।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच हनुमनतप्पा): यादव जी, जवाब देने की जरूरत नहीं है। Let us not concert this into a debate on Hindi.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : नहीं-नहीं, मैं डिबेट पर नहीं हूं। तो उसकी भावना को उन्होंने समझा नहीं। जब समझ लिया कि सचमुच में यह तो उसने कहा कि हम ऐसे साथी से एक साथ बैठना, जो आज भी गुलाम है, नीच है, उसके साथ नहीं बैठना चाहेंगे। तब उसने अपने घर में अपनी भाषा में चिट्ठी लिखनी शुरू की।

महोदय, स्वामी विवेकानन्द के पास एक बालक आता था। उसके पास झण्डा देखता था, सोचता था, कितना महान है वह देश जिस देश का यह आदमी है, उस देश का झण्डा कौन सा है। उस समय भारत आजाद नहीं था, इसलिये भारत का अपना कोई झंडा नहीं था, भारत पर यूनियन जैक फहराता था। उसने अपने पिता से पूछा कि भारतवर्ष का झंडा कौन सा है? उसने कहा कि भारत का झंडा क्या होगा, वह तो गुलाम है। उसको ध्यान आ गया, पूछा कि तुम विवेकानन्द के साथ जाते हो क्या? बताया—हां, जाता हूं। बोले—नहीं—नहीं, वह विद्वान हो सकता है, महान हो सकता है, लेकिन गुलाम है और गुलाम के पास जाना ठीक नहीं है। इतने महान आदमियों को भी ठोकर खानी पड़ी। महान नेताओं को जब ठोकर लगी तो उन्होंने आजादी की लड़ाई और उग्र रूप से लड़ी।

जहां तक ध्वज का सवाल है कि ध्वज का सम्मान किस प्रकार से किया जाय, इसको सीखने की आवश्यकता है। ध्वज को सिर्फ ध्वज कह कर नहीं, कपड़े का ध्वज कहकर नहीं बल्कि ध्वज एक सम्मान का प्रतीक, स्वाभिमान का प्रतीक हो। हम जब दुनियां में जाते हैं किसी चीज को लेकर, चाहें खेल हों या कुछ हो, तो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ध्वज लेकर हो जाते हैं। इसलिये ध्वज के प्रति [illegible] लेकर उस भाव में अगर नहीं गए तो ध्वज तो कपड़ा ही होगा। ध्वज के पीछे एक भावना होनी चाहिये, उसके पीछे संकल्प होना चाहिये उस ध्वज को ऊंचा रखने के लिये, ध्वज के प्रतीक सम्मान रखने के लिये कि कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं।

मैं एक बात बताना चाहता हूं, 1942 में जब पटना में एक कालेज का छात्र आया कि हम झण्डा फहरायेंगे तो वहां के कलेक्टर ने कहा कि जो झंडा फहराएगा, उसको गोली मार दी जाएगी। एक-एक लड़का आगे

बढ़ता था और उसे गोली मारी जाती थी। इस तरह एक-एक करके आगे लड़के बढ़ते चले गए और उस अंग्रेज के हाथ में जितनी गोलियां थीं, खत्म हो गयीं, लेकिन झंडा लेकर आगे बढ़ने वालों की पंक्ति खत्म नहीं हुई। आज भी सचिवालय में उनका प्रतीक है। तो झंडे का स्वाभिमान करने की जो बात है, उसके लिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में जब तक हम विचार नहीं करेंगे, तब तक झंडा खाली झंडा रहेगा।

हमारे मिश्र जी ने तीन-चार बातों की ओर ध्यान दिलाया है, उन्होंने भारतीय ध्वज के बारे में कहा है—संविधान या उसके किसी भाग को विकृत, विरूपित, अपवित्र, विदूषित या नष्ट करता है या उसे पैरों से कुचलता है या अन्यथा बोले हुये या लिखे हुये शब्दों द्वारा अवमानित करता है, उसे छः वर्षों की अवधि के लिये मताधिकार के लिये समाहरण से दंडित किया जायेगा तथा साथ ही वह कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्षों तक की हो सकेगी, या जुर्माने या दोनों से भी दंडनीय होगा।"

मैं समझता हूं कि सिर्फ दण्ड की भावना से हिन्दुस्तान की जो भावना विकृत होती जा रही है, वह नहीं सुधरेगी। जब इसको राष्ट्र के कर्णधार लोग संभालेंगे, तभी सुधरेगी। भारत सरकार जब संविधान से खिलवाड़ करेगी तो संविधान के प्रति आदर, सम्मान नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारा सम्मान करें तो पहले हमें खुद सम्मान करना सीखना पड़ेगा। जब तक हम हमारे संविधान का सम्मान नहीं करेंगे हम दूसरे से उसे सम्मानित नहीं करा सकते। उसी प्रकार से राष्ट्रगान भी है। राष्ट्रगान शब्द आते ही एक बात हमारे अन्तःकरण में यह आनी चाहिये कि हम उठ खड़े हों। इस गान को हम महज गाना समझकर नहीं बल्कि हृदय के उद्गार समझकर प्रकट करें। लेकिन आज राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र का संविधान, राष्ट्र की राष्ट्रभाषा आज राजनीति के शिकार हो गई है। मैं आपको एक बात स्मरण कराना चाहूंगा कि मैकाले ने जब अंग्रेजी को शुरू किया था तो उसने अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं किया था वरन् उसने उसकी उपयोगिता बढ़ा दी थी। उसने उसका सम्मान बढ़ा दिया था। भारत की राजभाषा आपने हिन्दी को बना तो दिया लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं बढ़ायी। उसका सम्मान नहीं बढ़ाया। दुर्भाग्य तो आज है कि आप आज उसकी उपयोगिता नहीं बढा पा रहे हैं। उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आप कल्पना करें जब प्रधान मंत्री जी हिन्दी बोलते हैं तो वह भारत की जनता की वाणी या कोटि-कोटि आत्मा की वाणी प्रकट होती है। लेकिन जब अंग्रेजी बोलते हैं तो मन में उदासी छा जाती है कि क्यों अंग्रेजी बोलते हैं। मैं याद कराना चाहूंगा माननीय गोर्बाचेव जी केन्द्रीय सभा स्थल पर रसियन में बोले तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारे प्रधान मंत्री हिन्दी में बोलेंगे। लेकिन वे अंग्रेजी में बोले। अंग्रेजी न तो रूस की भाषा है और न रूस अंग्रेजी पसंद करता है। मुझे याद है कि जब सर्वप्रथम पंडित विजया लक्ष्मी जी वहां राजदूत बन कर गयीं तो उन्होंने अपना परिचयपत्र अंग्रेजी में दिया। वह लौटा दिया गया। फिर जब हिन्दी में दिया तो प्रेसिडेंट की हिन्दी सभापति की। उसको भी काट दिया गया। कहा कि यह ठीक नहीं है। तब वहां पूछताछ हुई और राजर्षि टंडन जी ने बताया कि प्रेसिडेंट की हिन्दी राष्ट्रपति होगी। तो वह देश आपकी राजभाषा सुनना चाहता है। आज उस देश के विभागी क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि हम तो हिन्दी राजभाषा सुनना चाहते हैं, लेकिन भारत से आने वाले प्रतिनिधिगण अंग्रेजी बोलते हैं। हम क्या करें। मैं पूछना चाहता हूं कि बाहर विदेश में आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान वहां आवरण से होगी, वेशभूषा से होगी और आपकी बोली से होगी। लेकिन आप अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी कपड़ा पहनते हैं।

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

तो आपकी पहचान कैसे होगी। आप किस बुनियाद पर भारतीय संविधान की, भारतीय ध्वज की, भारतीय राष्ट्रभाषा की या राष्ट्रगान की पहचान बना सकेंगे। क्या अंग्रेजी में राष्ट्रगान करेंगे। क्या अंग्रेजों का झण्डा लेकर चलेंगे। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज भारत पहचाना जाता है भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन-दर्शन के कारण। अगर आज हमारा कोई विद्वान राजनीति पर बोलता है, विज्ञान और टैक्नोलोजी पर बोलता है तो यूरोप वाले कहते हैं कि यह तुम्हारी कहां है। लेकिन जब वह भारतीय संस्कृति पर बोलता है, भारत के जीवन-दर्शन पर बोलता है तो यूरोप वाले उसको सुनना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसको व्यवहार में लाना चाहते हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी संस्कृति का प्रचारक कौन है ? जो भारतीय संस्कृति को नहीं जानता। यह देश के लिए कितना सम्मान होगा ? कितना परिचय बनेगा आपका ? किस आधार पर परिचय बनेगा ? मैं एक बार राजर्षि टंडन जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं मिल्टन के पैराडाइज लास्ट का मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं दो पंक्ति कबीर की कहना चाहता हूं, जिन्होंने कभी कलम नहीं पकड़ी—"सिंहो के लेहड़े नहीं, हंसों की नहीं पांत, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात।" पैराडाइज लास्ट में इन दो पंक्तियों का कहीं जोड़ है क्या ? सवाल है कि अगर जोड़ हो भी तो क्या उस में गंगा की कलकल सुनायी देगी ? क्या उसमें मलयाचल की मंदाकिनी समीर मिलेगी ? क्या उसमें भारत की संस्कृति और वायु मिलेगी ? क्या उसमें यहां की परम्परा मिलेगी ? अंग्रेजी सीखने के लिये हो सकती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 2000 अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खुले हुए हैं। आज इन दो हजार स्कूलों को आप देखने जायें तो वहां राज भाषा के खिलाफ कितना अभद्र व्यवहार किया जाता है यह आप को देखने को मिलेगा। यहां तक कि दीवारों पर भी उस के खिलाफ लिखा जाता है। क्या आज अंग्रेजी के मैकाले के समय से भी अधिक उपयोगिता नहीं बढ़ी है। मैकाले भी अगर कब्र से निकल कर देखे तो कहेगा कि मैंने तो इतना नहीं सोचा था कि भारतवर्ष आजादी के 40 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी भाषा का इतना गुलाम बना रहेगा। आप विचार कर के देखें। 40 वर्ष की आजादी का उत्सव जब मनाया जा रहा था तो मुझे दुख हुआ यह देख कर कि हमारे देश के मूर्धन्य नेता राष्ट्र भाषा में नहीं बोल रहे थे। मैं आपको स्मरण कराऊं कि गांधी जी जन-जन के नजदीक कैसे पहुंचे। जन-जन को उन्होंने कैसे उद्वेलित किया, यह वह तब कर पाये कि जब उन्होंने जन जन की भाषा को स्वीकार किया, अंग्रेजी को नहीं और इसी लिये गांधी जी ने कहा था कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा तो दुनिया को कह दो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। इसी लिये उन्होंने सावधान किया था कि अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरा हम को अंग्रेजी से है इस लिये कि उसके साथ अंग्रेजियत है और अंग्रेजियत एक प्रकार की संस्कृति है जो भारतीय संस्कृति को तोड़ती है और जो आज भी भारतीय संस्कृति को तोड़ने का प्रयास कर रही है। जो गोपालस्वामी जी बोलते हैं वह अंग्रेजी की देन है। अंग्रेजी की देन पाकिस्तान भी है जो हमारे महान नेता महात्मा गांधी के सारे विरोध के बावजूद उन्होंने बनाया। किस षडयंत्र से वह बनाया गया वह आज छिपा नहीं रहा है और जो कुछ छिपा था वह भी खुल रहा है। तो जब देश भर में यह हालत हो रही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि देश प्रेम की भावना, यहां की एकता और अखंडता को कौन जोड़ेगा। भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश था। धर्म और संस्कृति के नाम पर यह जोड़ा जाता था। चारों तरफ चार धाम मंदिर थे। सभी जजमानों के पुरोहित उन से उन की भाषा में ही बात करते थे। रामेश्वर का पंडा हमारी भाषा में हम से बात करता है और हमारे यहां गया का पंडा तमिलों से तमिल में बात करता है। वह जोड़े हुए था सब को एक में। लेकिन 40 वर्ष

की आजादी के बाद हम जन संपर्क की एक भाषा को विकसित नहीं कर पाये। आप छोड़िये राज्यों की बात। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी केन्द्र सरकार क्या कर रही है। आप ने राज भाषा अधिनियम बनाया। 24 वर्ष इस अधिनियम को पारित हुए हो रहे हैं लेकिन उसका आप स्वयं पालन नहीं करते। आपने वार्षिक हिन्दी कार्यक्रम बनाया लेकिन 19 वर्ष में एक वर्ष के भी वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया। आप ने हर विभाग में एक राज भाषा कार्यान्वयन समिति बनायी, इंप्लीमेंटेशन कमेटी; लेकिन इस इंप्लीमेंटेशन कमेटी के सदस्यगण अपने कार्यों में हिन्दी अनुभाग को छोड़ दिया जाय तो हिन्दी का व्यवहार एक भी संचिका में नहीं करते। आप दूसरों की बात क्यों करते हैं। आप स्वयं विचार कर देखिये। आप की गृह मंत्रालय की राज भाषा समिति है। राज भाषा का सचिव वही होता है जो सचिव दूसरे मंत्रालयों में हिन्दी के रास्ते में रोड़ा अटका रहा होता है। वही यहां आता है और राज भाषा विभाग राज भाषा विभाग नहीं है, बल्कि सही कहें तो राज भाषा विरोधी विभाग है और उसके चलते यह राज भाषा अधिनियम कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है। उसका वार्षिक कार्यक्रम पूरा नहीं होता है और आपका स्वयं बनाया राज भाषा प्रभारी मंत्रालय इस काम में सब से पीछे है। उसको बैठक हो नहीं करते और तो और जो आपके विभाग की जिम्मेदारी है वह भी पूरी नहीं करते मुझे अफसोस होता है कि संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष आपके गृह मंत्री है, लेकिन आज तक राजभाषा के कार्यालय को भी उन्होंने नहीं देखा है। उनके चरणों की धूलि भी उस कार्यालय में नहीं पहुंच सकी। तो आपका संपर्क सूत्र का क्या होगा। बाहर आपकी पहचान क्या होगी? जब एक परिवेश में आप होंगे तभी तो आपकी पहचान होगी।

मैं अंत में एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैंने इसी परिवेश में यूरोप की यात्रा में देखा कि हिन्दुस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका के लोग वहां थे। वे मुझे एक या दो फर्लांग से देखते हीं दौड़कर आते थे। वे देखते थे कि इस आदमी का परिवेश ऐसा है तो इसको यहां भोजन में भी कठिनाई हो सकती है। वे इसलिए कहते थे कि आज शाम को भोजन आप हमारे साथ कीजिए। यह भाषा या वेशभूषा की पहचान है। भाषा या वेशभूषा दूसरे देशों के लिए ताज्जुब की बात होती है, लेकिन आज अपने ही देश के लिए यह ताज्जुब का कारण बन रही है। तो आप विचार कीजिए, सचमुच में यह विधेयक आज के समयानुकूल है, प्रासंगिक है। इसमें संविधान के प्रति सदभाव की, राष्ट्र-ध्वज के प्रति सदभाव की, राष्ट्रगान के प्रति और भारत की राजभाषा के प्रति सम्मान और सदभाव की बात कही गई है। इसलिए इस विधेयक को आप स्वीकार कर लें जिससे सचमुच में देश के लोगों की अपनी एक स्वतंत्र पहचान हो और हमारी अपनी एक शान हो। यह विधेयक इसी स्वतंत्र पहचान को बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। धन्यवाद।

श्री पशुपति नाथ सुकुल (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय साथी श्री शिव कुमार मिश्र जी की ओर से जो यह राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत विधेयक लाया गया है उसका स्वागत करता हूं। श्री मिश्र जी को एक सांसद के रूप में बधाई देता हूं कि राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र के गौरव को ध्यान में रखकर वे यह विधेयक लाए। एक नागरिक के रूप में मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वे इस तरह का विधेयक सदन में लाए।

अभी मैं सुन रहा था, ... जो बोल रहे थे, यादव जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, और भी कई हमारे साथी बोल रहे थे। लेकिन वे विधेयक पर कम बोले और भाषा पर ज्यादा बोल रहे थे। इस विधेयक में भाषा को कोई स्थान नहीं है। आप इस विधेयक को लेकर उसकी धाराओं पर बोलें। लेकिन यहां विधेयक पर कम विचार हुआ है।

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी : सुकुल जी, भारत का गौरव बढ़ाने के जितने भी अंश है, सभी पर कहा जा सकता है। क्या भाषा भारत के गौरव को बढ़ाने की चीज नहीं है ?

SHRI V. GOPALSAMY: A country's honour depends on many other things also.

श्री पशुपति नाथ सुकुल : अभी जो विधान संशोधन विधेयक आया था उसमें हिन्दी का प्रश्न आया था। मैंने उसका समर्थन किया था। लेकिन यह तो जो विधेयक लाए हैं हमारे मिश्र जी, यह राष्ट्रीय गौरव का, राष्ट्रीय अखंडता को बचाने के लिए लाए हैं . . .

(व्यवधान) यह जो विधेयक मिश्र जी लाए हैं, इसमें राष्ट्रीय ध्वज, भारत का संविधान और राष्ट्रगान का अपमान न करने की बात है। उसके साथ-साथ विघटनकारी क्रियाकलापों की भी चर्चा हुई कि अगर देश को कोई खण्डित करता चाहे तो उसको दंडित किया जाये। ये मेन 4--5 चीजें हैं जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है। इस विषय में एक कानून पहले से मौजूद हैं और उसका नाम है। Prevention of Insults to National Honour Act, 1971. इस विधेयक में भी मिश्र जी ने इसकी चर्चा की है। 11वीं धारा में यह कहा है कि उस अधिनियम को सन 71 के एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। दोनों में फर्क यह है कि उसमें राष्ट्रीय अखंडता की चर्चा नहीं है। उसमें केवल राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान की चर्चा है। उनको अपमानित करने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था है। लेकिन इसमें राष्ट्रीय अखंडता का भी समावेश है। इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसे समय में विधेयक लाया गया है जब कि हमें अपनी राष्ट्रीय अखंडता पर होने वाले प्रहारों को देख कर उन्हें बचाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जगह-जगह पर जलाया जाता है। कुछ समय पहले कश्मीर में जलाया गया था। पंजाब में 26 जनवरी को, उग्रवादियों ने जलाया था। हमारे तमिलनाडु में संविधान को फाड़ा गया, जलाया गया। इसके लिए तमिलनाडु विधान सभा के अनेक सदस्यों को सदन से निष्कासित किया गया। संविधान का अपमान करने के लिए निष्कासित किया गया था सदन से। विधायक जो शपथ लेते हैं संविधान की अगर वे ही संविधान को जलाने लगें, उस संविधान में दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान के महत्व की जो चर्चा है और जो हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनका आदर करें और अगर हम उनका आदर नहीं करते तो हम संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, संविधान महज एक कागज का बंडल नहीं है, राष्ट्रीय गान महज एक कविता नहीं है, कंस्टीटयूंट असेम्बली में 22 जुलाई, 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसको अपनाया गया था। 22 जुलाई, 1947 को कंस्टीटयूंट असेम्बली में इसका निर्णय लिया गया था। उस दिन श्री नेहरू जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कई लोग बोले थे। एक चौधरी खलिकउज्जमां जो बोले थे . . .

श्री सत्य प्रकाश मलवीय : आपके प्रदेश के थे वे।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : हां, आपके प्रदेश के थे वे। मैं उनको कोट करता हूं :

"1 think that from today, everyone, who regards himself as a citizen of lndia, be he a Muslim, Hindu or Ch-

ristian, will as a citizen make all sacrifices to uphold anil maintain the honour of the flag which is accepted and passed as the Flag of India."

ये विचार थे खलिकउज्जलां चौधरी साहब के । सबसे अन्त में बोली थी श्रीमती सरोजिनी नायडू । इस राष्ट्रीय ध्वज पर उनके अन्तिम शब्दों को मैं यहां कोट कर रहा हूं ।

"Many of my friends have spoken of this Flag with the poetry of their own hearts. I as a poet and as a woman, am speaking prose to you today when I say that we women stand for the unity of India. Remember, under this Flag there is no prince and there is no peasant, there is no rich and there is no poor. There is no privilege, there is only duty and responsibility and sacrifice, whether we be Hindus or Muslims, Christians, Jains, Sikhs or Zorostrians and others. Our Mother India has one undivided heart and one indivisible spirit. Men and women of re-born India, rise and salute this Flag. I bid you rise and salute the Flag."

The whole Assembly stood up and saluted the Flag.

इसी भावना से हमारा यह झंडा लाया गया था । संविधान सभा ने उसको अपनाया था । उस दिन दो झंडे दिखाये गये थे सदन में, संविधान सभा में । उसमें एक रेशमी झंडा था और दूसरा खादी का झंडा था । वे दोनों झंडे आज भी हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय में रख हुये हैं जो वहां पेश किए गए थे । यह महत्व था हमारे राष्ट्रीय ध्वज का । हमारे राष्ट्रीय ध्वज से ही हमारे देश की पहचान होती है । हिन्दुस्तान के बाहर जब हम जाते हैं जब हम देखते हैं कि हमारा राष्ट्रध्वज फहरा रहा हैं तो हम विशष गौरव का अनुभव करते हैं, आनन्दित और उल्लसित होते हैं । सन् 1982 में पहली बार जब मैं अमेरिका गया था तो उन दिनों हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जल सिंह भी अपने इलाज के लिए अमेरिका गये हुये थे । उनका इलाज हो चुका था । वे न्यूयार्क के वालडोर्फ आस्टोरिया होटल में ठहरे हुये थे । हम लोग उनसे मिलने के लिए वहां गये थे । वहां पर जब हमने भारत का विशाल झंडा होटल के बाहर फहराते हुये देखा तो रोमांचित हो गये । जिन-जिन देशों में हम जाते हैं और वहां पर भारत का झंण्डा फहराते हुये देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं । झण्डा हमारे देश का प्रतीक है आज उसी झण्ड को कुछ चन्द सिर-फिरे लोग जलायें, कुचलें और पददलित करें ।, यह बड़ दुख की बात है । ऐसा वे क्यों करते हैं ? वे झंण्डे को नहीं, देश को रौंदना चाहते हैं और झंडे के माध्यम से देश को रौंदते हैं क्योंकि झण्डा देश का प्रतीक है । ऐसे लोगों की दुर्भावना और दुष्कर्मों को रोकने के लिए दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये और उनको दण्ड मिलना चाहिये । हमारे मिश्रा जी ने जो प्रस्ताव किया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं । उन्होंने तीन वर्ष से लेकर सात वर्ष की दण्ड की व्यवस्था की है । पहले तीन वर्ष के दण्ड की व्यवस्था थी । अब उन्होंने तीन वर्ष से लेकर सात वर्ष के दण्ड की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है । मैं बिलकुल इससे एग्री करता हूं, इसको स्वीकार करता हूं । इतना दण्ड तो उनको अवश्य मिलना चाहिये । जैसा हमारा झण्डा है, वैसा ही हमारा संविधान है । हमारी समझ में नहीं आता कि हमारे तमिलनाडु के लोग संविधान की प्रतियों को क्यों फाड़ते हैं और जलाते हैं ? हमारे श्री गोपालसामी जी ने भी संविधान की प्रतियों को फाड़ा और जलाया है . . . **(व्यवधान)** ।

SHRI V. GOPALSAMY; I will explain that when my turn comes.

SHRI P. N. SUKUL: You cannot explain. That is why they have been dismissed from the Assembly.

SHRI V. GOPALSAMY: We don't car© about it.

SHRI P. N. SUKUL: That is an irresponsible attitude.

SHRI V. GOPALSAMY; That is arrogance on their part.

SHRI P. N. SUKUL; That is the regard that you have for your Constitution.

SHRI V, GOPALSAMY: We will face any consequences on that count.

SHRRI P N. SUKUL: It is a shameful thing.

SHRI V. GOPALSAMY; You. should be ashamed.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab) All of us should be ashmed of that act of yours.

श्री **पशुपति नाथ सुकुल** : संविधान ने आपका क्या बिगाड़ा है । हमारे देश में लोकतंत्र है । आप संविधान को बदल सकते हैं । अगर आपके साथ लोक शक्ति है तो आप उस शक्ति का इस्तेमाल करके संविधान को बदल सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं । उसको जलाते क्यों हैं ? आपके घर में कोई गड़बड़ है तो आप उसको ठीक कीजिए, घर की व्यवस्था को ठीक कीजिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : जो संविधान के प्रावधानों को लागू नहीं करते हैं वे संविधान का ज्यादा अपमान करते हैं ।

श्री **पशुपति नाथ सुकुल** : संविधान का अपमान करने वालों के खिलाफ दण्ड की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये । इस बात की आज नितान्त आवश्यकता है कि आजादी के चालीस वर्ष के बाद तो कम से कम हम अपने संविधान और राष्ट्रध्वज और अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें, उनका सम्मान करना सीखें । अभी तो हमको सीखना है । यहां बैठने के बाद भी अगर हमें सीखने की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी दयनीय स्थिति क्या हो सकती है, इससे बड़ी चिन्तनीय स्थिति क्या होगी ? पिछले साल क्या हुआ ? केरल में एक स्कूल के तीन छात्रों ने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया । उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रगान नहीं गायेंगे । ये ईसाई धर्म के एक विशेष सम्प्रदाय के छात्र थे । इस सम्प्रदाय के लोग विश्व भर में फैले हुये हैं । इस सम्प्रदाय का नियम है कि वे किसी भी देश में राष्ट्रगान को नहीं गाते हैं । भारत में ही नहीं, विश्व भर में जहां-जहां भी वे हैं, वहां पर उनका यह नियम है । इस सम्प्रदाय को फेथ आफ जैन्होवांज विटनेस कहते हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : वह स्कूल कौन सा है ?

श्री **पशुपति नाथ सुकुल** : वह केरल में है । केरल के शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने उन तीन छात्रों को कालेज से निकाल दिया । उसके बाद वे छात्र हाई कोर्ट में गये और केरल हाई कोर्ट ने भी जो शिक्षा महानिदेशक का निर्णय था, और उनके द्वारा दिया गया दण्ड था उसको उचित ठहराया, वैध ठहराया और वही निर्णय लिया गया कि उनको निकाल दिया जाना चाहिये जिन्होंने राष्ट्र गान गाने से मना किया । उसके बाद फिर अपील हुई सर्वोच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय ने केरल हाई कोर्ट के निर्णय को उलट दिया । उन्होंने कहा कि आप किसी को राष्ट्र गान गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते । जो वर्तमान संविधान व्यवस्था है, जो वर्तमान कानून है उसके अनुसार आप किसी को जबर्दस्ती राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते । अगर राष्ट्रीय गान होता है और आदमी खड़े हो जाते हैं और अगर कोई व्यक्ति चुपचाप रहता है, नहीं गाता है तो आप उसको यह नहीं कह सकते कि उसने गैर-कानूनी काम किया है । यह जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसकी मैं एक लाइन यहां कोट कर रहा हूं there is no provision of law which obliges anyone to sing the National Anthem, if a person who stands up respectfully when the National Anthem is sung does not join the singing.

यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयहै कि अगर वह खड़ा हो जाता है और राष्ट्र गान नहीं गाता है तो हम उसको इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते । इसलिए आज जरूरी है कि हम इस कानून को बदलें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा में जो आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ । सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो निर्णय दिया जा . . .

श्री पशुपति नाथ सुकुल : मैं बता रहा हूं। आपको शायद मालूम नहीं है कि अटार्नी जनरल और तीन दूसरे लोगों ने रिट आफ मैं डमस फाईल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच, बड़ी पीठ इस विषय पर पुर्नविचार कर रही है और यह मैटर आलरेडी कोर्ट के पास पेंडिग है। . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री पवन कुमार बांसल : मैटर पेंडिग है . . . **(व्यवधान)** . . .

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: You can amend the law.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: The question is of proper interpretaton of law. Proper interpretation of the existing law is required and nothing else.

पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिग है . . . (व्यवधान) . . अमेंडमेंट कैसे होगा । आप पूरी बात को समझने की कोशिश करिए ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : हमारे प्रधान मंत्री जी ने अभी लोक सभा में जो कहा वह मैं आपको सुना रहा हूं । उन्होंने क्या कहा ?

श्री पवन कुमार बांसल : सरकार ने रिव्यू इपलीकेशन फाइल करवाया है।

श्री पशुपति नाथ सकुल :
I quote the, words of Prime Minister Rajiv Gandhi:

"These symbols, in a sence, embody the soul and the spirit of the nation. They are and they must be sacred to us And they are an integral part of our freedom, of our unity. They have come out of freedom struggle. They are the symbols of free lndia today."

These are his words, these are his sentiments, thes are his feelings, and this is the atitude of our Government.

लेकिन जो भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय से हो जाता है तो उस पर पुर्नविचार की आवश्यकता अगर महसूस की जाती है और अगर उसका स्कोप भी है, गुंजाइश भी है तो उसको रेफर किया जाता है । अटार्नी जनरल और दूसरे लोगों ने उसको रेफर किया है ।

उसके बाद जरूरत हुई तो कानून भी बदला जा सकता है । हमारे मिश्रा जी यह बिल लाये हैं और वे चाहते हैं यह कानून का जामा पहने और वे इसको पास करवाना चाहते हैं । इस बिल के पीछे जो भावना है इस पर हमारे जितने साथी बोले है चाहे वे इस साईड के बोलें हों चाहें उस साइड के बोले हैं सबने इस विधेयक की भावना का समर्थन किया है और इस आवश्यकता पर बल दिया है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व की चीजें है जेसे राष्ट्रीय गान हैं, संविधान है राष्ट्रीय ध्वज है उनका अगर कोई अपमान करता है तो उसको समुचित दंड मिलना चाहिये । आपको याद होगा कि राष्ट्रीय गान, 1950—60 में सिनेमा हालों में गाया जाता था । कहीं पिक्चर शुरू होने के पहले और कहीं पर खत्म होने पर । मैंनें स्वयं देखा है कि कुछ लोग खड़े हो जाते थे और कुछ बैठे रहते थे और तभी उसको बन्द किया गया . . . **(व्यवधान)** . . . कुछ लोग खड़े होते थे और बहुत से बैठे रहते थे । **(समय की घंटी)**

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : बंद कीजिए, समय हो गया ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : अगली बार मुझे मौका दें ।

5 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): This discussion will continue next time. Now, Mr. Gadavi to lay the paper.